RCUES NEWSLETTER

(A Quarterly Publication)

VOL. III II | October - December, 2006 | No. 3 4

Centre for Urban & Environmental (Studies) Regional LIBRARY Dated LUCKNOW

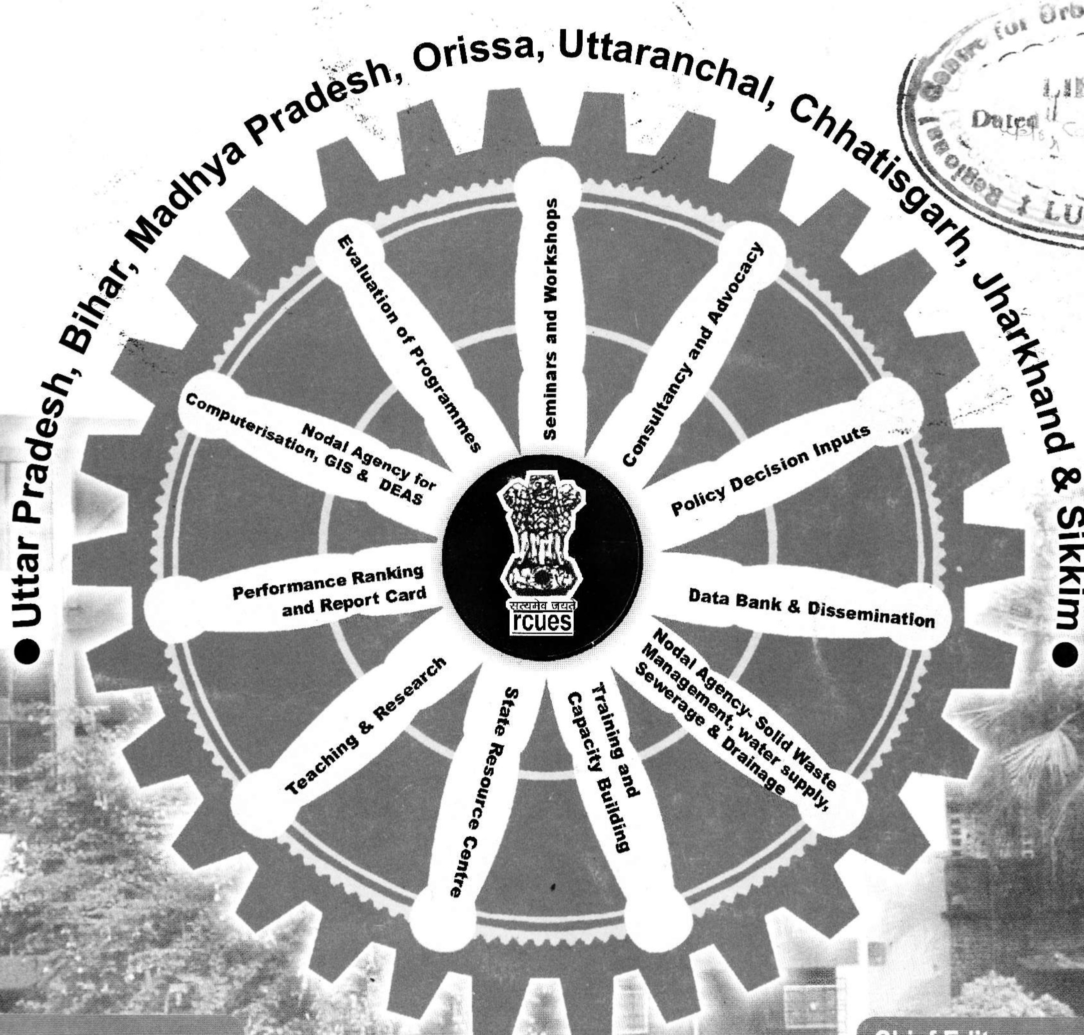

INSIDE

- Academic Activities (Oct.-Dec. 2006)
- News from Centre & States
- Faculty News
- Forthcoming Activities
- Collection of Some Important Documents

Chief Editor
Prof. Nishith Rai (Director)

Editor
Dr. Rajeev Narayan (Dy. Director)

Editorial Assistance
Dr. R.K. Trivedi (Astt. Librarian)
Dr. Alka Singh (Research Associate)

Regional Centre for Urban & Environmental Studies

(Established by the Ministry of Urban Development Govt. of India in 1968)

Adjacent Registrar's Office, University of Lucknow, Lucknow-226 007 (INDIA)

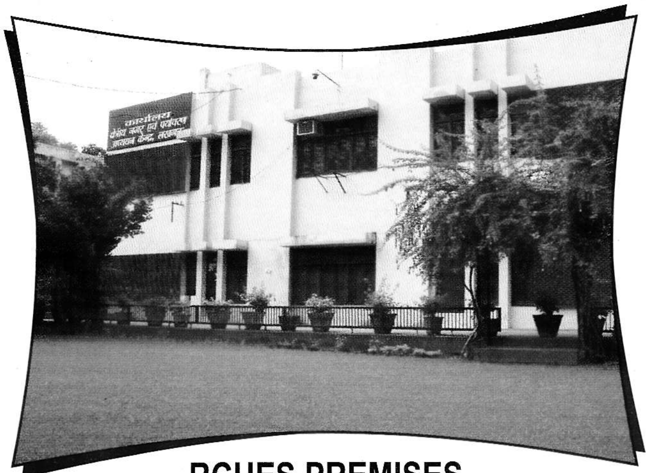

RCUES PREMISES

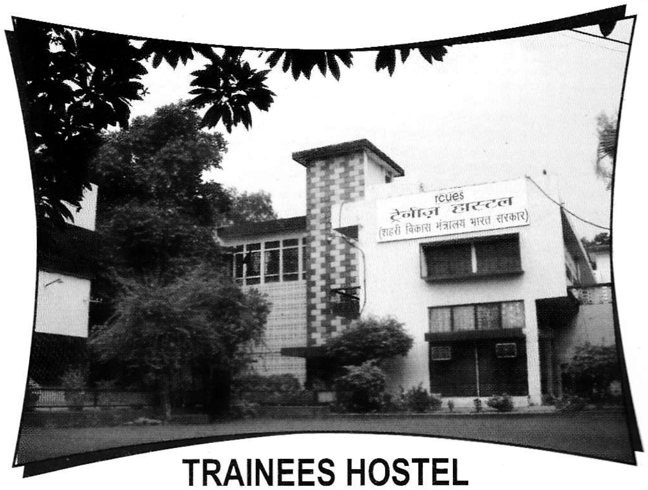

TRAINEES HOSTEL

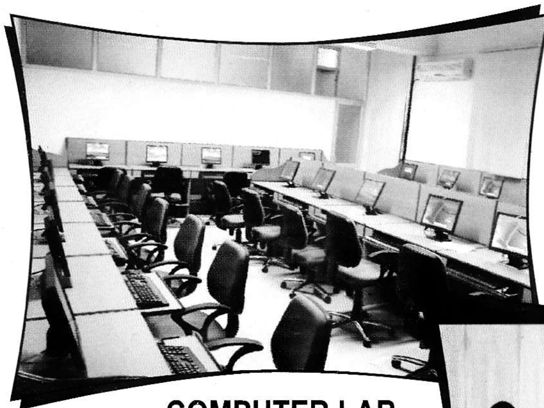

COMPUTER LAB

CONFERENCE ROOM

NDING- Dr.Alka Singh(R.A.),Dr.U.B.Singh(Jt.Dir.),Dr.Anjuli Mishra(Dy.Dir.) Dr.Rajeev Narayan(Dy.Dir.),Dr.Padma Iyer(Dy.Dir.),Dr.A.K.Singh(Astt.Dir.)
SITTING-Dr.Richa Varmani(Jt.Dir.),Prof.Nishith Rai(Director), Dr.Urmila Bagga(Jt.Dir.)

THE FACULTY OF RCUES

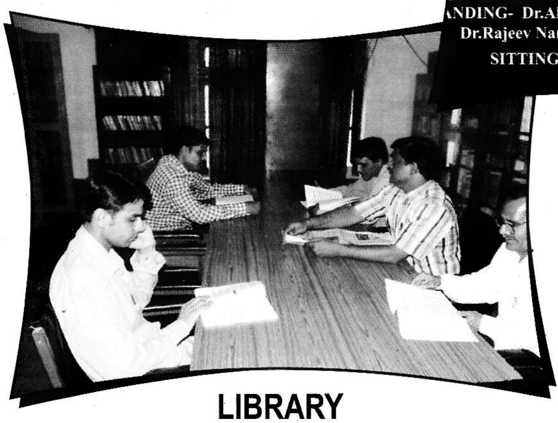

LIBRARY

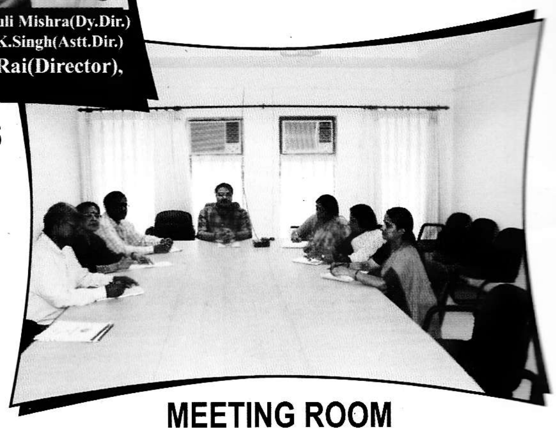

MEETING ROOM

Please mail your correspondence to :

Prof. Nishith Rai

Director

Regional Centre For Urban & Environmental Studies

(Established by Ministry of Urban Development, Government of India)

Adjacent Registrar's Office, University of Lucknow, Lucknow-226 007 (INDIA)

Tel. : (0522) 2740165, 2740108, Fax : (0522) 2740165

e-mail : nkrai@hotmail.com, nkrai@rcueslko.ogr : Website : rcueslko.org

From the Chief Editor's Desk

प्रो0 निशीथ राय

सत्यमेव जयते

rcues

प्रिय पाठकों,

बढ़ते शहरीकरण एवं स्थानीय पर्यावरणीय गिरावट शहरों के समक्ष एक चुनौती के रूप में उभर कर सामने आया है। इन चुनौतियों से निपटने हेतु शहरों को सक्षम बनाना अनिवार्य हो गया है। इस दिशा में नगरीय सुशासन लागू करना एवं नगरीय क्षेत्रों से जुड़े लोगों की भागीदारी एवं क्षमता विकास सुनिश्चित करना परम आवश्यक है। आज भारत एवं राज्य सरकारों का भी यही प्रयास है कि ऐसी योजनाएं लागू की जाएं जिससे सम्पूर्ण विकास हो सके। इसी दिशा में जे0एन0एन0यू0आर0एम0 एवं यू0आई0डी0एस0एस0एम0टी0 योजनाएं एक महत्वपूर्ण कदम है।

क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र, लखनऊ, हमेशा बेहतर नगरीय शासन हेतु स्थानीय निकायों की क्षमता विकास एवं नगरीय क्षेत्र से जुड़े लोगों की क्षमता विकास के लिए सदैव प्रयासरत रहता है। भारत सरकार की नयी परियोजनाओं के क्रियान्वयन के बाद हमारे केन्द्र की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो गई है।

इसी भूमिका के निर्वाहन हेतु "भारत सरकार एवं यू0एन0डी0पी0 कार्यक्रम" के तहत "विकेन्द्रीकृत नगरीय शासन की क्षमता विकास परियोजना" हेतु राज्य स्तरीय एजेन्सी नियुक्त किया है। इस परियोजना के तहत लेखा सुधारों के क्रियान्वयन हेतु 'दोहरी लेखा प्रणाली' लागू करना एवं सम्पत्ति कर में सुधार सम्मिलित हैं।

पाठकों एवं सभी स्थानीय निकायों से अनुरोध है कि इस 'न्यूज लेटर' के माध्यम से अपने विचारों, नव प्रयासों एवं प्रबन्धन से रीजनल सेण्टर को अवगत कराते रहें जिससे कि अन्य नगरीय निकाय, संस्थाएं, प्रशासक एवं नव निर्वाचित प्रतिनिधि प्रेरित हो सकें।

शुभ कामनाओं सहित।

निशीथ राय

निशीथ राय

निदेशक / मुख्य संपादक

From the Editor's Desk

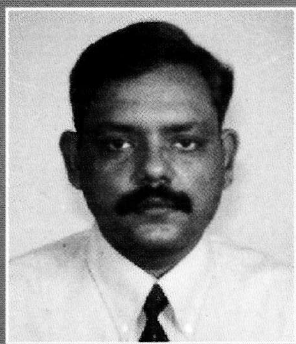

Dr.Rajeev Narayan

Dear Readers,

Urbanization is a global phenomenon. All the developing countries are experiencing rapid urbanization, due to which urban infrastructure and urban services are experiencing extreme pressure and are on verge of collapse. The pace of urban growth reflects the effects of development process and presents tremendous challenge as well as unique opportunities for the rising population. Today urban India presents a very pathetic scene. Cities have become a site of rotting garbage, degrading drainage and night soil removal systems, etc. Besides, the urban poor have practically very little access to basic urban services like, toilets, safe drinking water, roads, sanitation, street lights, etc. The main issues in urban agenda today are globalization and localization and their integration in order to ensure that every human being has access to not only to basic needs but also to all the opportunities to lead a decent life.

The basic aim of any sound policy of development should be to enhance the quality of life and well being of the people. The role of government is now largely becoming that of 'facilitator' and 'regulator' of development. The changed paradigm of the public sector now is in providing public goods and services without necessarily producing them. Good Urban Governance is the latest mantra and is seen as a process that promotes and encourages sustainable socio-economic, human and cultural development of societies and people. This calls for an effort from all stakeholders, in particular proactive involvement of civil society. People's participation and good urban governance is the need of the hour.

In this direction the Regional Centre has always stood up to the challenges and the expectations of all by developing the capacity of all the stakeholders involved in achieving Good Urban Governance. The Centre through various means and related activities is trying to achieve its goal and effectively shoulder the responsibilities given to it.

I would request the Readers to keep us informed about the relevant urban decisions, latest events and urban innovation so that we can disseminate the same to all concerned through our News letter. Your suggestions are welcome.

R.Narayan

(Dr. Rajeev Narayan)

Remarkable Achievements of the Centre

- Jawaharlal Nehru National Urban Renewal mission (JNNURM) Programme has emerged as one of the significant national flagship projects in the urban sector. In support of this programme, Ministry of Urban Development (MoUD), Government of India in association with UNDP is implementing a project on 'Capacity Development for Decentralized Urban Governance' in 16 cities located in four states: Rajasthan, Orissa, Kerala and Uttar Pradesh. The project envisages strengthening the local governance structure to take advantages of opportunities created under the JNNURM Programme. The main objective of the project is to assist the ULBs to exercise better service delivery mechanism coupled with transparency and accountability in governance.

RCUES has been appointed as the **State Level Agency for GOI-UNDP's** 'Capacity Development for Decentralized Urban Governance Project'. Under this Project four towns of U.P. viz. Allahabad, Varanasi, Meerut & Mathura have been selected. The RCUES as State Level Agency is implementing Accounting Reforms through Double Entry System of Accounting and Property Tax Reforms through implementation of Geographical Information System (GIS). It is a time bond programme to be completed by 31st December, 2007. In this regard a UNDP Cell has been set up at RCUES.

- शहरी क्षेत्र की परियोजनाओं में जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण परियोजना एक सार्थक पहचान के रूप में उभर कर सामने आयी है। विकेन्द्रीकृत नगरीय शासन हेतु क्षमता विकास परियोजना भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय द्वारा यू.एन.डी.पी. के सहायोग से 4 राज्यों राजस्थान, उड़ीसा, केरल, उ0प्र0 के 16 शहरों में चलायी जा रही है। जे.एन.एन.यू.आर.एम. कार्यक्रम के अन्तर्गत उत्पन्न अवसरों का लाभ लेते हुए स्थानीय शासन संरचना को सुदृढ़ बनाने के लिए इस परियोजना में ध्यान दिया गया है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य स्थानीय नगरीय निकायों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने में सहायक बनना साथ ही साथ शासन में पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व लाना है।

क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र, लखनऊ को भारत सरकार – यू.एन.डी.पी. की "विकेन्द्रीकृत नगरीय शासन हेतु क्षमता विकास परियोजना" के अन्तर्गत राज्य स्तरीय एजेन्सी के रूप में नामित किया गया है। इस परियोजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश राज्य के चार शहर इलाहाबाद, वाराणसी, मेरठ एवं मथुरा चयनित किए गए हैं। इस परियोजना के अन्तर्गत राज्य स्तरीय क्रियान्वयन एजेन्सी के रूप में क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र, लखनऊ दोहरी लेखा प्रणाली द्वारा लेखा सुधार एवं जी0आई0एस0 द्वारा सम्पत्ति कर सुधार लागू कर रहा है। यह एक समयबद्ध परियोजना है इस परियोजना के पूर्ण करने की अन्तिम तिथि 31 दिसम्बर, 2007 है। इस सम्बन्ध में क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र, लखनऊ में एक यू0एन0डी0पी0 सेल का गठन किया गया है।

."The essence of education is concentration of mind, not collecting of facts. Develop the power of concentration of mind and detachment and then with a perfect instrument collect facts at will."

-Swami Vivekananda

RCUES NEWS

The center as a part of its regular activities has conducted the following Training Programmes in the States under its jurisdiction:

UTTAR PRADESH

❖ Training Programme Management of Solid Waste:

The Management of Solid Waste has emerged as a major issue and a challenge for urban areas. Solid Waste Management (SWM) is an obligatory function of Urban Local Bodies (ULBs). They are not able to provide satisfactory solid waste service due to financial and institutional incapacity.

The Municipal Solid Waste Management Rules, 2000 lays emphasis on certain important aspects of SWM, which are also mandatory provisions, and the Municipalities are supposed to follow these in the management of solid waste.

Hence a four days Training Programme on 'Management of Solid Waste' was organized by the Centre at Lucknow for the senior Municipal Officials from November 8th to 11thNovember, 2006. The main objectives of the programme were: To focus on various management issues involved in operating this service, to highlight various low cost technical options available for its management, to underline the importance of private sector and community participation in effective provision of this service, to stress the need for inter- agency coordination in the management of the service. The programme was attended by 19 senior Municipal officials. The Chief Guest at the valedictory session was Sri Anil kumar Sagar, Director, Urban Local Bodies, Government of Uttar Pradesh.

The course was directed by Dr. Anjuli Mishra, Dy. Director of RCUES.

उत्तर प्रदेश

❖ प्रशिक्षण कार्यक्रम– ठोस अपशिष्ट प्रबन्धनः

नगरीय क्षेत्रों का ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन एक महत्वपूर्ण मुद्दे एवं चुनौती के रूप में उभर कर सामने आया है। नगर निकाय वित्तीय संसाधन एवं संधटनात्मक कमी के कारण ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन का कार्य संतोषजनक रूप से नहीं कर पा रहे हैं।

नगर निकायों को नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम 2000 में दिए गए कुछ महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर विशेष रूप से ध्यान देते हुए कार्य करना है।

इसी को ध्यान में रखते हुए केन्द्र द्वारा एक चार दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम नगर निकायों के वरिष्ठ अधिकारियों हेतु "ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन" विषय पर 8 नवंबर से 11 नवंबर, 2006 तक लखनऊ में आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्यों में नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन को संचालित करने में विभिन्न प्रबंधन सम्बन्धी विषयों पर चर्चा, प्रबन्धन में कम लागत पर आधारित विभिन्न तकनीकी विकल्पों पर विचार, ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन में निजी क्षेत्र एवं सामुदायिक सहभागिता के महत्व से परिचित कराना एवं ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन में विभिन्न संस्थाओं के मध्य समन्वय के महत्व सम्मिलित थे। इस प्रशिक्षण में नगर निकाय के 19 वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। समापन समारोह के मुख्य अतिथि श्री अनिल कुमार सागर, निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 शासन थे।

इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का निर्देशन डा0 अंजुली मिश्रा, उप निदेशक द्वारा किया गया।

"Change does not change tradition. It strengthens it. Change is a challenge and opportunity, Not a threat."
-Prince Philip of England

❖ Training Programme
Master Plan & Zoning Regulation

❖ प्रशिक्षण कार्यक्रम–
मास्टर प्लान एण्ड जोनिंग रेगुलेशन

Long term and planned development of a city is called Master Plan. For developing a Detailed Master Plan the Social, Political, Economic, Geographical and Cultural aspects of the city is kept in mind. While implementing master plan developmental possibilities for next 15-20 years is kept in mind hence it forms an important part of decision-making document. The work of Master Plan has been assigned priority in the 74th Amendment Act & 18 works assigned under the 12th schedule. In the near future the work of Master Planning & Zoning is to be transferred to the local bodies by the State Government. Keeping in mind the importance of above, the RCUES organized a five-day training programme on 'Master Plan & Zoning Regulation' from 20-24, November, 2006 for officials of Local Bodies from U.P. & M.P. State.

In all 23 Engineers from Nagar Nigams, Nagar Palika Parishads & Jal Sansthans of U.P. and M.P. participated.

Guest faculty included senior administrative officials Shri Sanjay Bhoosready, IAS, Director

किसी भी शहर के सुनियोजित विकास की दीर्घकालीन योजना मास्टर प्लान कहलाती है। इस योजना में उस नगर के सामाजिक, आर्थिक, भौतिक व सांस्कृतिक संदर्भ और महत्व को ध्यान में रखकर विकास कार्यों का विस्तृत खाका खींचा जाता है। हर मास्टर प्लान में उसके लागू होने के समय से पंद्रह–बीस वर्ष आगे की आबादी और नगर विस्तार की सम्भावनाओं को ध्यान में रखा जाता है। आशय यह है कि शहर के विकास की रूपरेखा बताने वाला नीति निर्धारक दस्तावेज ही महायोजना है। 74वें संविधान संशोधन के तहत 12वीं अनुसूची में जो अट्ठारह कार्यों की सूची है उसमें यह कार्य सर्वप्रथम है। कालान्तर में राज्य सरकार को मास्टर प्लान एवं जोनिंग रेगुलेशन का कार्य नगरीय निकायों को हस्तांतरित किया जाना निश्चित है।

इसी परिप्रेक्ष्य में क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र द्वारा एक पांच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम 'मास्टर प्लान एंड जोनिंग रेगुलेशन' विषय पर उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश की नगर निकायों में कार्यरत अभियंताओं हेतु नवम्बर 20–24, 2006 को आयोजित किया गया।

प्रशिक्षण कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश के नगर निगमों, नगर पालिका परिषदों एवं जल संस्थानों के 23 अभियंताओं ने भाग लिया।

प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत नियोजन प्रकिया से संबद्ध वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों को वक्तव्य हेतु

Participants with Shri J.S. Mishra, Principal Secretary, Dept. of Agriculture, Director Prof. Nishith Rai & Course Director Dr. Anjuli Mishra

NEDA, Govt. U.P., Shri S.S. Dalal, Senior Urban Planner, Town & Country Planning Department, Govt. of U.P., Shri A.K. Gupta, Chief Engineer, Directorate of Local Bodies & Shri C.P. Sharma, Executive Engineer, Lucknow Development Authority. Shri J.S. Mishra, IAS, Principal Secretary, Deptt. of Agriculture, Govt. of U.P., Chaired the valedictory session while Shri N.R. Verma, Chief Town & Country Planner, Govt. of U.P. gave his valuable suggestions.

The course was directed by Dr. Anjuli Mishra, Dy. Director of RCUES.

आमंत्रित किया गया। जिनमें श्री संजय भूसरेड्डी, आई.ए.एस., निदेशक, नेडा, उ0प्र0 शासन, श्री एस. एस.दलाल, वरिष्ठ नगर नियोजक नगर एवं ग्राम्य नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन, श्री ए.के.गुप्ता, मुख्य अभियंता, स्थानीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 शासन एवं श्री सी.पी.शर्मा, मुख्य अभियंता, लखनऊ विकास प्राधिकरण आदि प्रमुख थे। प्रशिक्षण कार्यक्रम के समापन सत्र की अध्यक्षता श्री जे.एस.मिश्रा, आई.ए. एस., प्रमुख सचिव, कृषि विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा की गयी। सत्र में विशिष्ट अतिथि के रूप में श्री एन. आर.वर्मा, मुख्य नगर एवं ग्राम्य नियोजक, उ0प्र0 शासन ने मार्गदर्शन प्रदान किया।

इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का निर्देशन डा0 अंजुली मिश्रा, उप निदेशक द्वारा किया गया।

❖ Training Programme: Office Management

Municipal Government has an important place in our Parliamentary Constitution. At this third tier there is direct interaction between the government and the citizen. Municipal Administration emerged with the concept of Local Self Governance. The Municipal office is not willing to change with the changing scenario. The municipal offices are lagging behind in due to lacks maintenance, management, resources, efficient working system & scientific know-how. Although some Govt. Departments have tried to copy the private sector and adopt their office and management methods but no one has paid attention in improving the office management at the Municipal level.

With increase in industrialization and economic activities the municipal office is facing many challenges to meet the emerging requirements. Keep the above in mind the Centre organized a 3 day Training Programme on 'Municipal Office Management' from 18th - 20th December, 2006.

❖ प्रशिक्षण कार्यक्रम– कार्यालय प्रबन्धन

हमारे संघीय संविधान में म्युनिसिपल सरकार का एक महत्वपूर्ण स्थान है। यह एक ऐसा स्तर है जहाँ प्रशासन एवं जनता परस्पर मिलते हैं। प्रशासन की परिकल्पना जन–सहयोग के साथ चलाये जाने वाली स्वायत्तशासी सरकार के रूप में की गयी है। लेकिन बदलते परिदृश्य में म्युनिसिपल कार्यालय अपने को परिस्थितियों के साथ परिवर्तित करने में तत्पर नहीं रहे हैं। इन कार्यालयों का रख–रखाव, प्रबन्धन, संसाधन, कार्य–प्रणाली आदि वैज्ञानिक पद्धति के अभाव में, गतिशील वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बहुत पीछे छूटते दिखते हैं। निजी क्षेत्रों की नकल करते हुए कुछ सरकारी विभागों में कार्यालय तथा उसके प्रबन्धन को सुधारने के प्रयत्न कहीं–कहीं दिखाई देते हैं लेकिन म्युनिसिपल प्रशासन में कार्यालय–प्रबन्धन की ओर किसी का ध्यान संभवतः आकृष्ट नहीं हुआ है। बढ़ते औद्योगीकरण और आर्थिक क्रिया–कलापों के परिप्रेक्ष्य में कार्यालय का विकास हमारे देश में एक समस्या बन गया है। हमारे देश में कार्यालय कई प्रकार की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं।

इसी परिप्रेक्ष्य में क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र द्वारा एक तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम ''म्युनिसिपल आफिस मैनेजमैंट'' विषय पर उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश की नगर निकायों में कार्यरत अधिशासी अधिकारियों हेतु दिसम्बर 18–20, 2006

" An Institution is the lengthened shadow of one man."
- Ralph Waldo Emerson

The Chief Guest at the valedictory session was Smt. Anita Srivastava, Addl. Director, Urban Local Bodies, Government of Uttar Pradesh.

The course was directed by Dr. Anjuli Mishra, Dy. Director, RCUES .

को आयोजित किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम के समापन सत्र की अध्यक्षता श्रीमती अनीता श्रीवास्तव, अपर निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय द्वारा की गयी।

इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का निर्देशन डा0 अंजुली मिश्रा, उप निदेशक द्वारा किया गया।

❖ Training Workshop for Newly Elected Mayors

The local body elections have completed in the State recently. The Newly Elected Mayors, Chairpersons and Members of the local bodies need to be oriented on various aspects of Urban Governance. The Centre had organized similar Orientation workshop after elections earlier also. In continuation to this the Centre organized a 2 day Orientation Workshop on 28 -29 December, 2006.

Newly elected Mayors of all the 12 Nagar Nigams were invited for the Orientation Workshop, out of the 12, following 7 Mayors participated:

❖ नव निर्वाचित माननीय महापौरों हेतु प्रशिक्षण कार्यशाला

प्रदेश में नगर निकाय के चुनाव अभी हाल में ही संपन्न हुआ है। नगर विकास के बदलते परिप्रेक्ष्य में समस्त नव–निर्वाचित महापौर, नगराध्यक्षों एवं सदस्यों को नगर प्रशासन के विभिन्न आयामों से ओरियंट कराना अनिवार्य है। विगत दोनों निर्वाचनों के उपरांत भी केन्द्र द्वारा नव नियुक्त महापौरों और अध्यक्षों को प्रशिक्षित किया गया था। इसी क्रम में नगर निगमों के महापौरों को प्रशिक्षित करने के लिए दिसम्बर 28, 29, 2006 को केन्द्र में दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया।

कार्यशाला हेतु प्रदेश के समस्त 12 नगर निगमों के नव–निर्वाचित महापौरों को आमंत्रित किया गया था, जिसमें से निम्न सात महापौरों ने भाग लिया।

Shri R.K. Mittal Divisional Commissioner, Lucknow along with Shri A.K. Verma, Principal Secretary, Dept. of Urban Development, Govt. of U.P. and Shri S.C. Rai, Former Mayor, addressing the newly elected Mayors during the workshop

1. Dr. Dinesh Sharma, Mayor, Lucknow
2. Shri Ravindra Patni, Mayor, Kanpur
3. Shri Ch. Jitendra Nath Singh, Mayor, Allahabad
4. Dr. B.Lal, Mayor, Jhansi
5. Shri Kaushalendra Singh, Mayor, Varanasi
6. Smt. Anju Chaudhary, Mayor, Gorakhpur
7. Smt. Madhu Gurjar, Mayor, Meerut.

The Workshop was inaugurated by Shri A.K.Verma, Principal Secretary, Dept. of Urban Development, Govt. of U.P. Shri A.K.Verma asked for cooperation from all the newly elected Mayor, to give a new direction to urban development in the State.

The Orientation Workshop was coordinated by Dr. U.B. Singh, Joint Director RCUES.

1. डॉ0 दिनेश शर्मा, महापौर, लखनऊ,
2. श्री रविन्द्र पटनी, महापौर, कानपुर,
3. श्री चौधरी जितेन्द्र नाथ सिंह, महापौर, इलाहाबाद,
4. डॉ0 बी. लाल, महापौर, झाँसी,
5. श्री कौशलेन्द्र सिंह, महापौर, वाराणसी,
6. श्रीमती अंजू चौधरी, महापौर, गोरखपुर,
7. श्रीमती मधु गुर्जर, महापौर, मेरठ,

कार्यशाला का उद्घाटन उत्तर प्रदेश शासन के नगर विकास विभाग के प्रमुख सचिव श्री ए0के0 वर्मा द्वारा किया गया। उन्होंने नगर विकास को एक नयी दिशा देने के साथ–साथ राज्य को देश का एक अग्रणी राज्य बनाने हेतु नव–निर्वाचित महापौरों का सहयोग मांगा।

कार्यशाला का निर्देशन डॉ0 यू0बी0 सिंह, संयुक्त निदेशक द्वारा किया गया।

❖ Orientation Workshop for Newly Elected Representatives of Jhansi Nagar Nigam

On requested of the Mayor, an Orientation Workshop for the newly elected representatives was organized by the Newly Centre in the created Jhansi Nagar Nigam of U.P. on 16th December, 2006. Mayor and 60 newly elected Members of Jhansi Nagar Nigam along with Municipal Commissioner and other officers of the department participated in the workshop.

The objectives of the one day workshop were:

- To orient on the changing scenario and strategy of the Nagar Nigam
- To highlight on the major provisions of the Nagar Nigam Act, 1959
- To orient on the rights & duties of the newly elected representatives

❖ झाँसी नगर निगम के निर्वाचित प्रतिनिधियों हेतु ओरिएन्टेशन प्रशिक्षण कार्यशाला

उत्तर प्रदेश के नव सृजित बारहवें नगर निगम झाँसी के नव निर्वाचित जन प्रतिनिधियों हेतु एक दिवसीय ओरिएन्टेशन प्रशिक्षण कार्यशाला महापौर के अनुरोध पर केन्द्र द्वारा 16 दिसम्बर, 2006 को झाँसी में आयोजित की गयी। कार्यशाला में नगर निगम के नव निर्वाचित महापौर सहित कुल 60 निर्वाचित सदस्य तथा नगर आयुक्त सहित समस्त अधिकारियों ने भाग लिया।

इस एकदिवसीय कार्यशाला के उद्देश्य निम्नवत थे :

- नगर निगम की बदलती रणनीतियों से परिचित कराना,
- नगर निगम अधिनियम, 1959 के मुख्य प्राविधानों पर प्रकाश डालना,
- नव निर्वाचित जन प्रतिनिधियों के अधिकार एवं कर्तव्य,

- To orient on the various sources of income of Nagar Nigam of their Augmentation.
- To orient on the working of Assembly etc.

The Orientation Workshop was conducted by Dr. U.B. Singh, Joint Director RCUES.

- नगर निगम के आय के स्रोत एवं उनका दोहन,
- सदन की कार्यवाही आदि।

कार्यक्रम का निर्देशन डा0 यू.बी. सिंह, संयुक्त निदेशक ने किया।

❖ ORIENTATION TRAINING PROGRAMME FOR NEWLY APPOINTED EXECUTIVE OFFICERS OF U.P.

In the past few years, Executive Officers had been appointed to the urban local bodies of the State of Uttar Pradesh, but they had not received any training on Urban Government. Therefore, there was a long-felt need to orient them and to give them input on the various aspects of urban administration and management and on the recent government policies in order to build their individual capacities. With this view, a ten-days' training programme was organized for newly appointed Executive Officers from November 27 to December 6, 2006.

❖ नवनियुक्त अधिशासी अधिकारियों हेतु ओरिएन्टेशन प्रशिक्षण कार्यक्रम

उ0प्र0 राज्य में पिछले कुछ सालों से अधिशासी अधिकारी नगरीय स्थानीय निकायों में नियुक्त हुए, लेकिन उन्हें किसी भी प्रकार का प्रशिक्षण नगरीय शासन द्वारा प्राप्त नहीं हुआ। जिसके कारण यह महसूस किया गया कि उनको सभी प्रकार के आयामों जैसे नगरीय प्रशासन, प्रबंधन और वर्तमान सरकार की नीतियों से परिचित कराया जाए। जिससे कि उनका क्षमता विकास हो सके।

इसको ध्यान में रखते हुए नव नियुक्त अधिशासी अधिकारियों के लिए 10 दिनों का प्रशिक्षण कार्यक्रम 27 नवम्बर से 6 दिसम्बर, 2006 को आयोजित किया गया।

Participants with Shri Anil Kumar Sagar, Director, Directorate of local bodies, Govt. of U.P., Prof. Nishith Rai, Director, RCUES and Course Director Dr. Richa Varmani, Joint Director, RCUES

The participants to the course were familiarized with the various legislative aspects of the U.P. Municipalities Act, 1916, as amended in 1994, the changing perspectives of urban governance with special emphasis on good governance, along with the functions of the executives in general, their powers and responsibilities in particular, leave rules, pay fixation, T.A., D.A. Rules etc., urban planning, management of urban services, municipal financial management, municipal

प्रतिभागियों को उ0प्र0 म्यूनिस्पिलिटीज् अधिनियम 1916 व 1994 में संशोधित विधायिकी की जानकारी दी गई। प्रतिभागियों को नगरीय प्रशासन के बदलते आयामों विशेष रूप से नगरीय स्वशासन, अधिकारियों के कार्यों, उत्तरदायित्व, अधिकारों को बताया गया साथ ही विभिन्न प्रकार के नियमों जैसे छुट्टी, पे–फिक्सेशन, यात्रा एवं अन्य भत्तों, नगरीय योजना, नगरीय सेवा प्रबंधन, नगरीय वित्त प्रबंधन, नगरीय वैक्तिक प्रबंधन, नगरीय अपशिष्ट प्रबंधन,

personnel management, management of urban wastes, disciplinary proceedings and application of computers (e-governance) and team working. The participants were also acquainted with the Urban Reforms Agenda of the Government of India, with special emphasis on the Jawaharlal Nehru National Urban Renewal Mission (JNNURM) and its sub-programmes.

The programme was attended by 18 newly-appointed Executive Officers of Nagar Panchayats of the State of Uttar Pradesh. The Orientation Training Programme was directed by Dr. Richa Varmani, Joint Director of the RCUES.

अनुशासनात्मक प्रक्रिया और एप्लीकेशन ऑफ कम्प्यूटरस (ई–गवर्नेन्स) और समूह के रूप में कार्य करना इत्यादि विषयों की जानकारी दी गई।

इसके अलावा प्रतिभागियों को भारत सरकार की जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन एवं उसके उप मिशनस् की भी जानकारी दी गई।

कार्यक्रम में उ0प्र0 राज्य के नगर पंचायत के 18 नये चुने गए अधिशासी अधिकारियों ने भाग लिया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का निर्देशन डा0 ऋचा वरमानी, संयुक्त निदेशक द्वारा किया गया।

BIHAR

❖ Five Training Workshops for Elected Women Councilors

Third phase of Training Programmes for newly elected Women Councilors was organized by the Centre in Bihar. 5 Training programmes were conducted from 30 Nov.- 2 Dec., 4-6 Dec., 7-9 Dec., 11-13 Dec., & 14-16 December, 2006. The objectives of the Training Programme were :

बिहार

❖ महिला पार्षदों के लिए पॉंच प्रशिक्षण कार्यक्रम

तृतीय चरण में बिहार राज्य की नगर निकायों के निर्वाचित महिला पार्षदों हेतु पांच त्रि–दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन पटना में किया गया। पांच प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन 30 नवम्बर से 2 दिसम्बर, 4 से 6 दिसम्बर, 7 से 9 दिसम्बर, 11 से 13 दिसम्बर एवं 14 से 16 दिसम्बर, 2006 को किया गया। इन कार्यक्रमों के प्रमुख उद्देश्य निम्न थे :

Participants with Course Director Dr. Padma Iyer, Dy. Director and Dr. A.K. Singh, Asst. Director

"A bend in the road is not the end of the road unless you fail to make the turn."

- To orient the elected women councilors about the provisions of the Act.
- To highlight on the Rights & Duties of the Women Councilors
- To orient them about the working of the Board Meetings
- To orient them on the various sources of income of the local body and their augmentation
- To orient them on the their role in Budget preparation
- To orient them on their role in acquiring community & private participation and their role in developmental works & services delivery
- To discuss & suggest measures on the problems arising due to dual role of the Women Councilors
- To orient them on the various urban development programmes.

In all 119 Women Councilors participated in the Training Programme. The Programme was jointly coordinated by Dr. Padma Iyer, Dy. Director, RCUES and Dr. A.K.Singh, Asst. Director, RCUES

- निर्वाचित महिला सदस्यों को अधिनियमों के प्राविधानों से परिचित कराना,
- महिला सदस्यों के अधिकार एवं कर्तव्य पर प्रकाश डालना,
- बोर्ड की बैठकों में भाग लेने तथा प्रश्न पूंछने की प्रक्रिया से परिचित कराना,
- पालिका के आय के स्रोतों पर प्रकाश डालना तथा उनके दोहन के उपाय सुझाना,
- पालिका के बजट निर्माण में निर्वाचित सदस्यों की भूमिका से परिचित कराना,
- नगर विकास के कार्यों में निजी क्षेत्र तथा समुदाय की सहभागिता प्राप्त करना और विकास कार्यों तथा सेवा प्रदायता में उनकी भूमिका पर प्रकाश डालना,
- महिला सदस्यों की दोहरी भूमिका में उठने वाली कठिनाइयों का पता लगाना तथा दूर करने के उपाय सुझाना,
- नगर विकास के विभिन्न कार्यक्रमों की जानकारी देना।

इन कार्यक्रमों में 119 महिला पार्षदों ने प्रतिभाग लिया। कार्यक्रमों का संचालन डा0पद्मा अय्यर, उप निदेशक तथा डा0 ए0 के0 सिंह, सहायक निदेशक ने किया।

JHARKHAND

❖ Orientation Programme For Special Officers:

The center organized an orientation training programme for the special officers of Jharkhand. This fortnight long course was held form Oct. 3 to 17, 2006 at Lucknow. The course was designed to orient the officials on various dimensions of urban administration & management. All aspects of urban development and administration were covered under the programme. In all 10 officers participated in this course.

The programme was inaugurated by the Sri A.K. Verma, Principal Secretary, Urban Development, Govt. of U.P. In his address Sri Verma highlighted

झारखंड

❖ विशेष अधिकारियों हेतु ओरिएन्टेशन प्रशिक्षण कार्यक्रम

झारखंड के विशेश अधिकारियों के लिए केन्द्र द्वारा एक ओरिएन्टेशन प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन 3 अक्टूबर से 17 अक्टूबर, 2006 तक लखनऊ में किया गया। नगरीय प्रशासन एवं प्रबन्धन के विभिन्न आयामों पर जानकारी देने के दृष्टिकोण से इस श्रंखला की रूपरेखा तैयार की गयी थी। कार्यक्रम के दौरान नगरीय विकास तथा प्रशासन के सभी मुददों पर चर्चा की गयी। इस कार्यक्रम में 10 अधिकारियों द्वारा प्रतिभागिता की गयी।

कार्यक्रम का उद्घाटन उ0 प्र0 के नगर विकास विभाग के प्रमुख सचिव श्री ए0के0 वर्मा द्वारा किया

"Good Urban Governance without adequate capacity is a misconception."
- GUGC, 2001

Participants with Shri Anil Kumar Sagar, Director, Directorate of Local Bodies, Govt. of U.P., Prof Nishith Rai, Director, RCUES & Course Director Dr. U.B. Singh, Joint Director, RCUES

the changing roles of urban local bodies in the new millennium. The occasion was graced among others by Sri R.K. Srivastava, Secretary, Urban Development, Govt. of Jharkhand and Sri Anil Kumar Sagar, Director of Local bodies, U.P. In his remarks Sri Srivastava emphasized on exploring new financial sources and re-introduction of octroi for bettering the financial health of municipalities in the states where octroi is either not imposed or abolished.

The Chief Guests at the valedictory session of the course were Sri R.K. Mittal, Divisional Commissioner, Lucknow along with Dr. S.C. Rai, former Mayor and Prof. R. P. Singh, Vice Chancellor, Lucknow University, respectively.

The course was jointly directed by Dr.U.B.Singh, Joint Director and Dr. A. K. Singh, Asst. Director.

गया। अपने सम्बोधन के दौरान श्री वर्मा ने नई शताब्दी में नगरीय स्थानीय निकायों की बदलती भूमिका पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर झारखण्ड सरकार के नगर विकास विभाग के सचिव श्री आर0के0 श्रीवास्तव तथा उ0प्र0 सरकार के स्थानीय निकाय निदेशालय के निदेशक श्री अनिल कुमार सागर भी उपस्थित थे। नगरीय निकायों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाने हेतु श्री श्रीवास्तव ने नए वित्तीय स्रोतों को तलाशने के साथ–साथ उन राज्यों में चुंगी को पुनः लागू करने पर भी बल दिया जहाँ पर चुंगी समाप्त कर दी गयी है अथवा लागू ही नहीं की गयी है।

उक्त कार्यक्रम के समापन सत्र के अवसर पर लखनऊ के मण्डलायुक्त, श्री आर0के0 मित्तल, पूर्व महापौर डा. एस.सी. राय तथा लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो0 आर.पी. सिंह उपस्थित थे।

कार्यक्रम का निर्देशन डा0 यू0बी0 सिंह, संयुक्त निदेशक तथा ए0के0 सिंह, सहायक निदेशक द्वारा संयुक्त रूप से किया गया।

'Confidence is the most important single factor in any game and no matter how great your natural talent, there is only one way to obtain it: Work.'
- Jack Nicklaus'

SPECIAL ACTIVITIES

❖ Visit of South African Delegation to the Regional Center for Urban & Environmental Studies, Lucknow

A high level South African Government's Delegation led by Dr Essop Goolam Pahad, Hon'ble Minister for Communications & Information System, Presidency of Republic of South Africa visited RCUES, Lucknow on 11th November, 2006

The Purpose of the visit was to identify the perspective areas of mutual cooperation and collaboration.

Appreciating the work being done by the Regional Centre in the field of Urban Development Dr Essop Goolam Pahad was of the opinion that both India and South Africa share similar concerns and

❖ दक्षिण अफ्रीका के उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मण्डल का क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र लखनऊ में आगमन

डा0 एसोप गुलाम पहाड, मंत्री सूचना एव संचार मंत्रालय, दक्षिण अफ्रीका सरकार के प्रतिनिधित्व में दक्षिण अफ्रीका के एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मण्डल का दौरा 11नवम्बर, 2006 को क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र, लखनऊ में हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य दक्षिण अफ्रीका एवं क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र, लखनऊ के मध्य आपसी सम्भावित सहयोग एवं संयुक्त तत्वाधान को चिन्हित करना था।

डा0 एसोप गुलाम पहाड़, ने अपने सम्बोधन में क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र लखनऊ दारा नगरीय क्षेत्र में किए जा रहे अपने प्रयासों एवं

Prof Nishith Rai, Director, RCUES welcoming the South African Delegates

challenges in the field of decentralized governance, and there is a need for such an organization in South Africa. He was of the view that both the countries face the problem of implementation of policy at the local level. Both countries have evolved innovative and good policies for urban development but these policies fail due to lack of proper implementation. He was of the view that Poverty Alleviation needs fresh approaches and criteria in the context of millennium development goals and the concept of Poverty line needs to be redefined.

Vice Chancellor of the Lucknow University, Prof R.P. Singh, highlighted the progress of Lucknow University and desired for mutual cooperation in the field of higher education and learning.

Sri Sanjay Garg, Hon'ble Minister for Trade Tax, Govt. of U.P introducing the Hon'ble guest informed that Dr Essop Goolam Pahad was awarded Ph.D. degree on India's Freedom Movement in South Africa from Sussex University.

A brief presentation on the behalf of the Regional Centre was made by Dr. Rajeev Narayan. Presenting the brief profile of the Centre he identified the issues and areas of mutual cooperation and collaboration. Prof Nishith Rai, Director of the centre welcomed the delegation and stressed on the need for collaboration between South Africa & RCUES.

❖ National Seminar On Care And Protection Of Disadvantaged Children In Urban India

A two-day National Seminar on Care & Protection of Disadvantaged Children in Urban India was organized by Regional Centre for Urban & Environmental Studies, Lucknow on 17th & 18th November, 2006 at Lucknow. The Seminar was sponsored by Planning Commission, Government of India, New Delhi.

योगदान की प्रशंसा करते हुए कहा कि दक्षिण अफ्रीका को भी एक ऐसे ही संस्थान की आवश्यकता है। उन्होंने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि दोनों ही देशों में कई समानताएं हैं एवं दोनों ही देशों की समस्यायें एवं चुनौतियां लगभग एक समान हैं। उनके अनुसार दोनों ही देशों की मुख्य चुनौती नीतियों का स्थानीय स्तर पर क्रियान्वयन किया जाना है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि मिलेनियम डेवलेपमेन्ट गोल्स को प्राप्त करने हेतु गरीबी उन्मूलन को एक नई दिशा देना आवश्यक है एवं गरीबी रेखा को पुर्नभाषित करने की भी आवश्यकता है।

प्रो0 आर0पी0 सिंह, कुलपति, लखनऊ विश्वविद्यालय ने विश्वविद्यालय की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए साउथ अफ्रीका के विश्वविद्यालयों के साथ सहयोग पर जोर दिया।

श्री संजय गर्ग, मंत्री, व्यापार कर, उ0प्र0 सरकार ने डा0 एसोप गुलाम पहाड के विषय में विस्तृत जानकारी दी एवं बताया कि उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम विषय पर पी0एच0डी0 प्राप्त की।

प्रो. निशीथ राय, निदेशक द्वारा अपने स्वागत भाषण में क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र लखनऊ एवं दक्षिण अफ्रीका के मध्य सहयोग की सम्भावना पर जोर दिया। केन्द्र के उप निदेशक डा0 राजीव नारायन ने केन्द्र द्वारा किए जा रहे कार्यों पर एक विस्तृत प्रस्तुतिकरण किया एवं क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र लखनऊ एवं साउथ अफ्रीका के मध्य सम्भावित सहयोग एवं संयुक्त तत्वाधान पर प्रकाश डाला।

❖ राष्ट्रीय संगोष्ठी– नगरीय भारत की प्रतिकूल प्रतिस्थितियों में रहने वाले बच्चों की देखभाल एवं सुरक्षा

नगरीय भारत की प्रतिकूल प्रतिस्थितियों में रहने वाले बच्चों की देखभाल एवं सुरक्षा पर दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन 17–18 नवम्बर, 2006 को क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र, लखनऊ द्वारा किया गया। संगोष्ठी योजना आयोग भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा वित्त पोषित थी। संगोष्ठी का उद्घाटन श्री आर. रमणी, महानिदेशक

Prof. R.P. Singh, Vice Chancellor, Lucknow University addressing the participants along with Shri R. Ramani, Director General Training, Mrs. Jayati Chandra, Principal Secretary, Dept. of Horticulture Prof. Nishit Rai Director, RCUES and Course DirectorDr. U.B. Singh, Joint Director, Dr. Padma Iyer, Deputy Director

The Seminar was inaugurated by Sri R.Ramani, IAS, Director General, (Training), Government of Uttar Pradesh. Mrs. Jayati Chandra, I.A.S., Principal Secretary, Department of Horticulture & Food Porcessing, Government of U.P. and Former Joint Secretary, Ministry of Social Justice and Empowerment, Government of India, New Delhi, delivered her keynote address. At the seminar 32 papers were presented.

The main objectives of seminar were:

- To review programmes, policies, projects and schemes oriented towards care, protection and empowerment of disadvantaged children in India
- To examine the status of disadvantaged children in Urban India
- To review the enforcement of Children's Rights Acts and other legal provisions in India
- To examine the impact of Juvenile Justice Act and other legal provisions related to

(प्रशिक्षण), उ0प्र0 शासन ने किया। श्रीमती जयेती चंद्रा, प्रमुख सचिव, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ0प्र0 शासन तथा पूर्व संयुक्त सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली ने अपना मुख्य भाषण दिया। कुल 32 प्रपत्र प्रस्तुत किये गये।

संगोष्ठी के प्रमुख उद्देश्य निम्न थे–

- भारत में प्रतिकूल परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों की देखभाल, सुरक्षा और उनके अधिकारिता की दिशा में चल रहे कार्यक्रमों, नीतियों, परियोजनाओं और कार्य योजनाओं की समीक्षा करना।
- शहरी भारत में वंचित बच्चों की स्थिति की जांच करना।
- बाल अधिकार कानूनों और भारत में अन्य वैधानिक प्रावधानों के क्रियान्वयन की समीक्षा करना।
- किशोर न्याय अधिनियम और वंचित बच्चों से संबंधित अन्य वैधानिक प्रावधानों की जॉच करना।

disadvantaged children

- To examine the implementation of various programmes, schemes and projects for care and protection of disadvantaged children in urban India
- To examine the compliance of the recommendations of UN Committee on Child's Rights in India and particularly to assess the progress in India in the context of Millennium Development Goals
- To suggest policy measures for proper implementation, delivery of services and administration of Children's Rights Acts, legal provisions, programmes and schemes in India

The main recommendations of the seminar were:

- A separate Juvenile Judicial System should be created to ensure effective implementation of Juvenile Justice Act.
- The minimum age for all programmes of Child Development should be 18 years uniformally.
- A comprehensive data base relating to children of all age groups needs to be created.
- A seprate nodal agency for child development, care & protection should be established at national level with its branches at regional level.
- For providing proper child care and protection the role and participation of Public, Private, civil society and other stake holders should be made statuary.
- The proposed Integrated Child Protection Scheme should be incorporate role of family, technology loded solution and involvement of corporate sector.
- Capacity Building of all those related to child development schemes should be made compulsory.
- Child protection should be facilitated through

- भारत में वंचित बच्चों की देखभाल और संरक्षण के लिए विभिन्न कार्यक्रमों, कार्य योजनाओं और परियोजनाओं की जांच करना।
- भारत में बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र की समिति की सिफारिशों के अनुपालन की जांच करना और विशेषकर सहस्त्राब्धि विकास के लक्ष्यों के संदर्भ में भारत में प्रगति का आंकलन करना।
- भारत में बाल अधिकार कानूनों, वैधानिक प्रावधानों, कार्यक्रमों और कार्य योजनाओं के उचित क्रियान्वयन, सेवाएं देने और प्रशासन के कार्य योजनाओं के उचित क्रियान्वयन, सेवाएं देने और प्रशासन के लिए नीतिगत उपाय सुझाना।

संगोष्ठी के मुख्य संस्तुतियॉ निम्न थीं:

- बाल अधिकार कानूनों को अधिक प्रभावी बनाने हेतु एक अलग न्याय प्रणाली स्थापित किया जाना आवश्यक है।
- बाल विकास के सभी कार्यक्रमों हेतु कम से कम 18 वर्ष की उम्र तय की जानी चाहिए।
- सभी आयु के बच्चों के विकास हेतु एक विस्तृत डाटा बेस तैयार किया जाना चाहिए।
- राष्ट्रीय स्तर पर एक अलग नोडल एजेन्सी का गठन किया जाना चाहिए, जिसकी शाखाएं क्षेत्रीय स्तर पर भी हों।
- बाल विकास कार्यक्रमों एवं संरक्षण हेतु सरकारी, गैर सरकारी, नागरिक संस्थाएं एवं अन्य संस्थाओं की भागीदारी अनिवार्य होनी चाहिए।
- प्रस्तावित एकीकृत बाल संरक्षण कार्यक्रम में परिवार, तकनीकी विधि एवं कार्पोरेट सेक्टर की भूमिका सुनिश्चित की जानी चाहिए।
- बाल विकास कार्यक्रमों से जुड़े हुए लोगों एवं संस्थाओं की क्षमता विकास अनिवार्य रूप से की जानी चाहिए।

taking into account views of children and their participation.

The Seminar was Coordinated by Dr. U.B. Singh, Joint Director and Dr. Padma Iyer, Deputy Director and Dr. A.K. Singh, Astt. Director were Associate Coordinators.

- बाल विकास के कार्यक्रमों में बच्चों के विचारों को अनिवार्य रूप से सम्मिलित किया जाना चाहिए।

संगोष्ठी के समन्वयक केन्द्र के संयुक्त निदेशक, डॉ0 यू0बी0 सिंह एवं सह समन्वयक डॉ0 पद्मा अययर, उप निदेशक, व डॉ0 ए0के सिंह, सहायक निदेशक थे।

❖ Visit of High Level Delegation of U.P. Government to Nagpur

Under the project on "Capacity Development for Urban Governance" under Government of India's URIF project, as a part of exposure and interactions with model cities with good urban governance, in particular Solid Waste Management, a high level delegation of U.P. Government visited the Nagpur city to study the plant setup for conversion of Plastic waste to useful Hydrocarbons. The main purpose of the visit was to Study the plant which is working at Nagpur before sanctioning the similar projects for Lucknow & Kanpur City of U.P under JNNURM.

❖ उत्तर प्रदेश सरकार के उच्च स्तरीय शिष्टमण्डल का नागपुर दौरा

यूरिफ योजना में नगरीय शासन हेतु क्षमता विकास के अर्न्तगत मॉडल शहरों का एक्सपोजर और इन्टरैक्शन विशेषकर अच्छे नगरीय शासन एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सीखने हेतु उ0प्र0 शासन के उच्च स्तरीय शिष्टमण्डल ने नागपुर शहर में स्थापित गैर उपयोगी प्लास्टिक को उपयोगी हाइड्रोकार्बन में बदलने के लिए तैयार प्लांट का दौरा किया व परियोजना का अध्ययन किया। इस दौरे का मुख्य उद्देश्य उ0प्र0 में इस परियोजना के स्वीकृत होने के पहले से चलाए जा रहे गैर उपयोगी प्लास्टिक को उपयोगी हाइड्रोकार्बन में बदलने वाले प्लांट का अध्ययन करना था।

शिष्टमण्डल में निम्नलिखित अधिकारियों ने भाग लिया था:–

Members of the Delegation along with Dr. Alka Zadgaonkar Inventor of the Technology.

The followings officers were part of the delegation:

- Sri S. P. Singh, Spl. Sec., Deptt. Of Urban Dev. Govt. of U.P.
- Sri Anil Sagar, Director, Directorate of Local Bodies, Deptt. of Urban Dev., Govt. of U.P.
- Sri R. B. Maurya, Municipal Commissioner, Lucknow Municipal Corporation.
- Sri B. B. Uppal, Dy. Advisor (Retd.), CPHEEO, Ministry of Urban Development, Govt. of India, New Delhi.
- Prof. Nishith Rai, Director, RCUES, Lucknow.
- Dr. Rajeev Narayan, Dy. Director, RCUES, Lucknow.

The team reached Nagpur on 30th November 2006 and was there for the full day. The delegation was taken to the plant established by Dr. Alka Zadgaonkar as a demonstration project at Butibori Industrial Area, Nagpur. The delegation inspected the plant and they were briefed in detail about the Plant.The technology is a breakthrough and based on it waste plastics can be effectively and fully converted in petrol, Kerosene, Diesel, Lubricating oil fractions, Petroleum gases and Coke. All the members of the delegation found the visit to the plant fruitful. The visit was a great learning experience. The members of the delegation felt the need for setting up of such a plant for conversion of plastic waste to useful hydrocarbon in the State.

- श्री एस.पी. सिंह, विशेष सचिव, नगर विकास विभाग, उ0 प्र0 शासन।
- श्री अनिल कुमार सागर, निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उ0 प्र0 शासन।
- श्री आर.बी. मौर्या, नगर आयुक्त, लखनऊ नगर निगम।
- श्री बी.बी उप्पल, उप सलाहकार (सेवानिवृत्त), सी.पी.एच.ई.ई.ओ., शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
- प्रो0 निशीथ राय, निदेशक, आर.सी.यू.ई.एस., लखनऊ।
- डा0 राजीव नारायण, उप निदेशक, आर.सी.यू.ई. एस. लखनऊ।

शिष्टमण्डल दल के सदस्य 30 नवम्बर, 2006 को नागपुर पहुँचे और वहाँ वे पूरे दिन उपस्थित रहे। शिष्टमण्डल दल ने डा0 अल्का जदगांवकर द्वारा स्थापित संयत्र के प्रदर्शन में हिस्सा लिया जो नागपुर के बुटीबोरी औद्योगिक क्षेत्र में है। शिष्टमण्डल ने संयत्र स्थान का निरीक्षण किया व उन्होंने संयत्र की विस्तृत कार्यविधि, उसकी संरचना, प्रौद्योगिकी और प्रयोग का ब्यौरा लिया। इस प्रौद्योगिकी में अनुपयोगी प्लास्टिक को पेट्रोल, कैरोसीन, डीजल, ल्यूबरीकेन्ट ऑयल,पेट्रोलियम गैस एंव कोक में पूर्णतया परिवर्तित किया जा सकता है और यह प्रौद्योगिकी इसका बेहतर विकल्प है। शिष्टमण्डल के सभी सदस्यों ने दौरे के दौरान संयत्र को उपयोगी पाया। दौरे का अनुभव बहुत अच्छा रहा। शिष्टमण्डल के सदस्यों ने अनुपयोगी प्लास्टिक से उपयोगी हाइड्रोकार्बन बनाने के बहुउपयोगी संयत्र को राज्य में स्थापित करने की जरूरत को महसूस किया।

❖ Inception Workshop: GOI-UNDP's Project on Capacity Development for Decentralized Urban Governance

The Regional Centre for Urban & Environmental Studies, Lucknow has been designated as the State Level Implementing

❖ प्रारम्भिक कार्यशाला – भारत सरकार–यू.एन.डी.पी. की विकेन्द्रीकृत नगरीय शासन हेतु क्षमता विकास परियोजना

क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र, लखनऊ को इस परियोजना के लिए राज्य स्तरीय क्रियान्वयन एजेन्सी के रूप में नामित किया है। परियोजना सेल

Agency for this project. A Project cell has been established at RCUES for the above project. Keeping in view the importance of this time bound project the Regional Centre organized a one day Inception Workshop on the above project.

The main objectives of the workshop were to aware the participants with the concept and various components of the project, further the participants were also made aware of the workplan and strategy of the project.

The Chief Guest of the Workshop was Shri Amal Kumar Verma, Principal Secretary, Dept. of Urban Development, Govt. of U.P. He instructed the official of the four selected towns of the Project to work fast so that the project targets are met in time, as the project is to end on 31st December, 2007.

The participants for the Inception Workshop consisted of Mayors & Municipal Commissioners of Varanasi, Allahabad, Meerut Nagar Nigams, Chairman & Executive

का निर्माण आर.सी.यू.ई.एस. में किया गया है । इस परियोजना की समयबद्ध महत्ता को ध्यान में रखते हुए रीजनल सेण्टर ने उपर्युक्त परियोजना पर एक दिवसीय प्रारम्भिक कार्यशाला आयोजित की।

इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य परियोजना के विभिन्न अंगों एवं विषय वस्तु से प्रतिभागियों को परिचित कराना था। इसके अतिरिक्त प्रतिभागियों को परियोजना की रणनीति एवं कार्य योजना से भी अवगत कराया गया।

इस कार्यशाला में नगर अधिकारियों को परियोजना के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों से अवगत कराना था तथा प्रतिभागियों को इस परियोजना की प्रस्तावित कार्ययोजना एवं विस्तृत रणनीति की जानकारी देना था। राज्य में लेखा एवं सम्पत्ति कर सुधारों को लागू करने की तुरन्त आवश्यकता की संवेदनशीलता प्रतिभागियों ने महसूस की। सुधारों को लागू करने व नवीनतम तकनीकों एवं श्रेष्ठतम कार्य रूप से उनको परिचित कराया गया।

श्री अमल कुमार वर्मा, प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन इस कार्यशाला के मुख्य अतिथि थे। उन्होंने इस परियोजना के अन्तर्गत चयनित 4 शहरों के अधिकारियों को तेजी से कार्य करने का निर्देश दिया, जिससे कि परियोजना

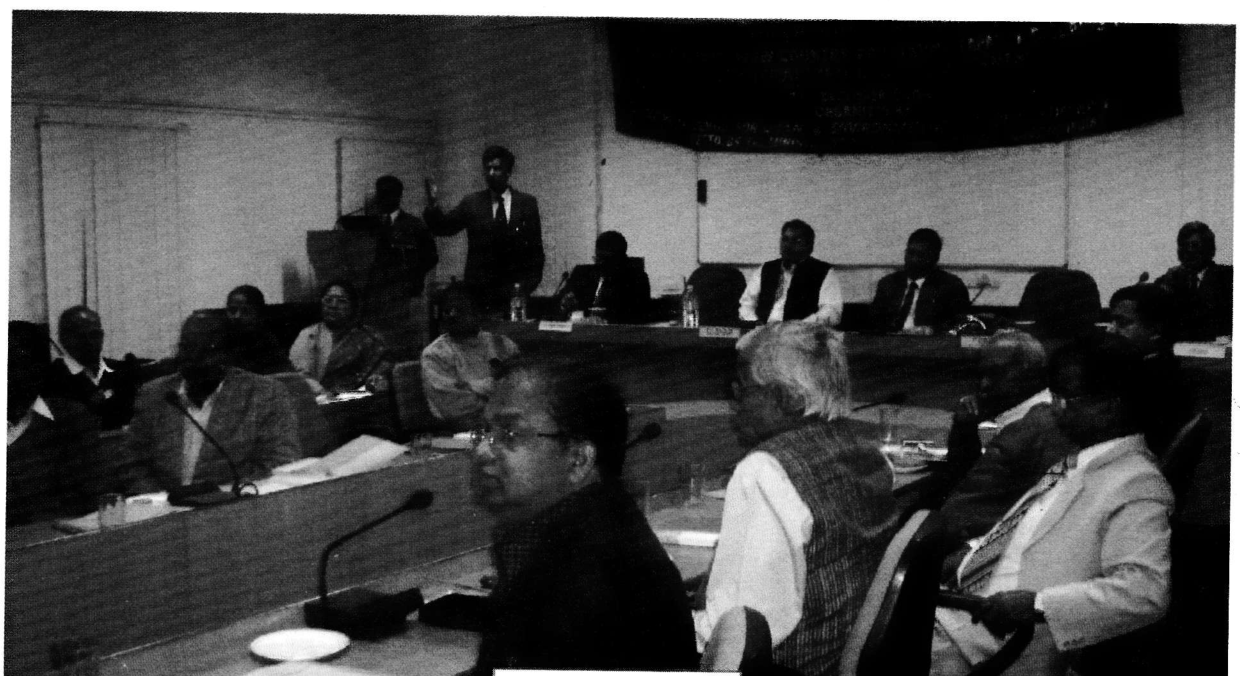

Workshop in Progress

Officers of Mathura Nagar Palika Parishad, Officials from the Dept of Urban Development, Govt. of U.P. and Directorate of Local Bodies, U.P. and Faculty of SLNA. In all there were 28 participants.

The participants felt more sensitized towards the urgent need of implementing accounting and property tax reforms in the State. The Workshop was coordinated by Dr. Rajeev Narayan, Project coordinator & Dy. Director, RCUES

❖ Solid Waste Management

The Regional Centre for Urban & Environmental Studies has been designated as Nodal Agency for Solid Waste Management in U.P. The Regional Centre in its capacity as Nodal Agency prepared Detailed Project Reports for 5 JNNURM Towns and 15 UIDSSMT Towns. The Centre achieved a distinction of hundred percent success, as all the DPRs prepared by the Centre were approved.

The Centre invited Expression of Interest from Agencies / Firms to implement the SWM projects on Turnkey basis for the following towns: Aligarh, Jhansi, Balia, Basti, Sambhal, Badaun and Kannauj, Gorakhpur, Moradabad, Etawah, Ferozabad, Mainpuri, Muzaffarnagar, Raibareilly, Meerut, Mathura, Lucknow, Kanpur and Agra.

The work is being coordinated by Dr. Rajeev Narayan, Dy. Director, and assisted by Dr. Alka Singh, Research Associate.

❖ Double Entry Accounting System:

The Regional Centre is Coordinating the Implementation of Double Entry Accounting

निर्धारित समय (जो कि 31 दिसम्बर, 2007 है) पर पूरी की जा सके।

इस प्रारम्भिक कार्यशाला में 28 प्रतिभागियों ने भाग लिया जिसमें वाराणसी, इलाहाबाद, मेरठ नगर निगमों के महापौर एवं नगर आयुक्त, मथुरा नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष एवं अधिशासी अधिकारी, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन एवं स्थानीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 के अधिकारी तथा एस.एल.एन.ए. के फेकल्टी सदस्य सम्मिलित थे। इस कार्यशाला का संचालन परियोजना के समन्वयक एवं उप निदेशक, आर0सी0यू0इ0एस0, डॉ0 राजीव नारायण ने किया।

❖ ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन :

क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र, लखनऊ, को उ0प्र0 में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु नोडल एजेन्सी के रूप में नामित किया गया है। रीजनल सेण्टर अपनी क्षमता के अनुरूप 5 जे.एन.एन.यू.आर.एम. शहरों एवं 15 यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी. शहरों हेतु डी.पी.आर. तैयार करने हेतु नोडल एजेन्सी बनाया गया है। सेण्टर ने डी.पी.आर. तैयार करने में जो कि केन्द्र द्वारा स्वीकृत हो चूकी है, शत–प्रतिशत सफलता हासिल की है।

रीजनल सेण्टर ने ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन परियोजना के क्रियान्वयन हेतु विभिन्न एजेन्सियों/फर्मों से एक्सप्रेशन ऑफ इन्टरेस्ट ट्रंकी आधार पर निम्न शहरों अलीगढ़, झॉसी, बलिया, बस्ती, सम्भल, बदायूँ, कन्नौज, गोरखपुर, मुरादाबाद, इटावा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, मुज्जफरनगर, रायबरेली, मेरठ, मथुरा, लखनऊ, कानपुर और आगरा में सॉलिड वेस्ट मैंनेजमेण्ट परियोजना के क्रियान्वयन हेतु आमन्त्रित किया।

कार्य का समन्वयन डा0 राजीव नारायण, उप निदेशक तथा डा0 अल्का सिंह, रिसर्च एसोसिएट की सहायता से किया जा रहा है।

❖ दोहरी लेखा प्रणाली

उ0प्र0 के स्थानीय नगर निकायों में दोहरी लेखा प्रणाली के क्रियान्वयन का समन्वयन रीजनल सेण्टर

System in ULB's of U.P. For the above purpose an Expert Management Group (EMG) has been formed at RCUES for supporting and overseeing the implementation process of DEAS. The following persons are the members of the EMG:

1. Sri S.P. Singh, Special Secretary, Deptt. of U.D., Govt. of U.P.
2. Sri Anil Kumar Sagar, Director, Directorate of Local Bodies, Govt. of U.P.
3. Sri S.K. Mishra, Sr. Financial and Accounts Officer, Directorate of Local Bodies, Lucknow.
4. Sri Sanjay Madan, Chartered Accountant, Lucknow.
5. Sri Rajiva Tingal, Director, IMG, Lucknow.
6. Prof. Nishith Rai, Director, RCUES.
7. Dr. Rajeev Narayan, Dy. Director, RCUES.

The work is being coordinated by Dr. Rajeev Narayan, Dy. Director, and assisted by Dr. Alka Singh, Research Associate.

द्वारा किया जा रहा है। रीजनल सेण्टर में इस परियोजना के क्रियान्वयन हेतु देख–रेख एवं सहायता के लिए ई.एम.जी.(विशेष प्रबन्धन समूह) गठन किया गया है। ई.एम.जी.में निम्न सदस्य हैं:–

1. श्री एस.पी. सिंह, विशेष सचिव, नगर विकास विभाग, उ0 प्र0 शासन।
2. श्री अनिल कुमार सागर, निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उ0 प्र0 शासन।
3. श्री एस.के. मिश्रा, वरिश्ठ वित्त एवं लेखा अधिकारी, स्थानीय निकाय निदेशालय, लखनऊ।
4. श्री संजय मदान, चार्टेड एकाउन्टेन्ट, लखनऊ।
5. श्री राजीवा टिंगल, निदेशक, आई0एम0जी0, लखनऊ।
6. प्रो0 निशीथ राय, निदेशक, आर.सी.यू.ई.एस., लखनऊ।
7. डा0 राजीव नारायण, उप निदेशक, आर.सी.यू.ई.एस. लखनऊ।

कार्य का समन्वयन डा0 राजीव नारायण, उपनिदेशक तथा डा0 अल्का सिंह, रिसर्च एसोसिएट की सहायता से किया जा रहा है।

❖ Geographical Information System

The Regional Centre is coordinating the work of implementation of GIS for Property Tax Reforms. The Centre invited Expression of Interest from Agencies / Firms to implement GIS in following 15 Towns of U.P.: Jaunpur, Fetehpur, Faizabad, Varanasi, Moradabad, Brindavan, Meerut, Hapur, Sahajhanpur, Maunath Bhanjan, Firozabad, Jhansi, Ballia, Haldor and Allahabad. The work is in progress.

The work is being coordinated by Dr. Rajeev Narayan, Dy. Director and assisted by Dr. Alka Singh, Research Associate.

❖ ज्योग्राफिकल इनफॉरमेशन सिस्टमस्

सम्पत्ति कर सुधारों के लिए जी.आई.एस. का क्रियान्वयन सम्बन्धी कार्य रीजनल सेण्टर द्वारा किया जा रहा है। यू0पी0 के 15 शहरों जौनपुर, फतेहपुर, फैजाबाद, वाराणसी, मुरादाबाद, वृन्दावन, मरेठ, हापुड़, शाहजहॉपुर, मऊनाथ भंजन, फिरोजाबाद, झॉसी, बलिया, हल्दौर और इलाहाबाद में रीजनल सेण्टर ने जी.आई.एस. लागू करने के लिए विभिन्न फर्मो/एजेन्सियों से आमन्त्रित किया।

कार्य का समन्वयन डा0 राजीव नारायण, उपनिदेशक तथा डा0 अल्का सिंह, रिसर्च एसोसिएट की सहायता से किया जा रहा है।

❖ Slaughter House

The Regional Centre is preparing DPRs for Modernization of Slaughter Houses at Rampur, Aligarh, Khurza, Meerut and Unnao. Expression of Interest was called for setting up a modern slaughter house at Rampur city on turnkey basis. The work shall start shortly.

The work is being coordinated by Dr. Rajeev Narayan, Dy. Director and assisted by Dr. Alka Singh, Research Associate

❖ स्लॉटर हॉउस

रामपुर, अलीगढ़, उन्नाव, खुर्जा एवं मेरठ में स्थित स्लाटर हाउस के आधुनिकीकरण हेतु रीजनल सेण्टर द्वारा डी0पी0आर0 तैयार की जा रही है। ट्रंकी आधार पर रामपुर शहर में आधुनिक स्लाटर हाउस निर्मित करने हेतु एक्सप्रेशन ऑफ इन्टरेस्ट आमंत्रित किया गया है। काम शीघ्र ही शुरू हो जायेगा।

कार्य का समन्वयन डा0 राजीव नारायण, उपनिदेशक तथा डा0 अल्का सिंह, रिसर्च एसोसिएट की सहायता से किया जा रहा है।

❖ Computerization of ULBs and Jal Sansthans:

The work of computerization being done by the centre in 18 Urban Local Bodies and 6 Jal Sansthans in U.P. under URIF scheme.

The work is being coordinated by Dr. Rajeev Narayan, Dy. Director, and assisted by Dr. Alka Singh, Research Associate.

❖ कम्प्यूटराइजेशन ऑफ यू0एल0बी0एस0 और जल संस्थान

यूरिफ योजना के तहत उ0प्र0 के 6 जल संस्थानों तथा 18 स्थानीय नगरीय निकायों में कम्प्यूटरीकरण का कार्य रीजनल सेण्टर द्वारा किया गया।

कार्य का समन्वयन डा0 राजीव नारायण, उप निदेशक तथा डा0 अलका सिंह, रिसर्च एसोसिएट की सहायता से किया जा रहा है।

FACULTY NEWS

Dr. Richa Varmani

- Heard assessment appeals and finalized objections relating to trieninal assessment of Property Tax in Lucknow Cantonment Board during August-November, 2006.
- Appointed as Member of Committee to Amend Bye-Laws of Lucknow Cantonment Board.

Dr. Rajeev Narayan

- Appointed Project Coordinator for GOI-UNDP's Project on 'Capacity Development for Decentralised Urban Governance' in U.P

> "Good Urban Governance is perhaps the single most important factor in eradicating poverty and promoting development."
> \- Kofi Annan

- Appointed Member of the Expert Management Group (EMG) formed for implementing Double Entry Accounting System in U.P.

Dr. Padma Iyer

- Attended a seminar on 'Good Governance' at Lucknow on 30.12.06 and presented a paper on 'Poverty Alleviation and Good Governance in Urban India'
- Conducted a session on Entrepreneurial Appraisal at NBSE on 19-12-06.

Dr. A.K. SINGH

- Presented paper on Urban Poverty in India: Emerging Perspectives and Trends in National Seminar on Emerging Policy Perspectives on Rural and Urban Community Development: Need for Identifying the Areas and Approaches of Social work Intervention organized by Department of Social Work, Lucknow University, Lucknow on December 22-24, 2006.

FORTH COMING ACTIVITIES

1. Orientation Training Programme for Newly Elected Chairpersons of Nagar Palika Parishads of U.P. (5^{th}-6^{th} January, 2007)
2. Orientation Training Programme for Tax Assessment Officers, Tax Superintendents and Asstt. Tax Superintendents of U.P. (January 16^{th} to 20^{th}, 2007)
3. Training Programme for Women Councellors of Bihar (February, 12-14, 2007)
4. Training Programme for Women Councellors of Bihar (February, 15-17, 2007)
5. Training Programme for Women Councellors of Bihar (February, 19-21, 2007)
6. Orientation Training Programme for Revenue & Tax Inspectors of U.P. (February 20^{th} to 24^{th}, 2007)
7. Orientation Training Programme for Newly appointed Executives Officers of U.P. (March 8^{th} to 17^{th}, 2007)
8. Training Programme on 'Report Card System' (February 7^{th} to 9^{th}, 2007)
9. Training Programme on Disaster Management (26^{th}-27^{th} February, 2007)
10. Workshop on Presentation of Public Private Partnership Manual(21^{st} March, 2007)
11. National Seminar on Role of Urabn Local Government in Disaster Management (23^{rd} - 24^{th} March, 2007)

It is better to deserve without receiving, than to receive without deserving.
- R.G. Ingersall

IMPORTANT DOCUMENTS :

- **उत्तर प्रदेश में विकेन्द्रित नियोजन प्रणाली**
- **त्वरित आर्थिक विकास योजना के मार्गदर्शी सिद्धान्त**
- **झारखण्ड सरकार का क्षमता विकास संकल्प का शासनादेश**
- **उत्तर प्रदेश सरकार का ई० गवर्नस आदि पर शासनादेश**
- **उत्तर प्रदेश के नगर निकायों में नव निर्वाचित महिला महापौरों एवं महिला अध्यक्षों की सूची**

उत्तर प्रदेश में विकेन्द्रित नियोजन प्रणाली

उत्तर प्रदेश में विकेन्द्रित नियोजन प्रणाली की नवीन व्यवस्था वर्ष 1982–93 से लागू की गई थी। विकेन्द्रित नियोजन प्रणाली के अंतर्गत जिला स्तर पर सार्थक योजनाओं का अभिज्ञान, योजनाओं का निर्माण, कार्यान्वयन, सूचना एवं अनुश्रवण में स्थानीय अधिकारियों तथा लाभार्थियों के सक्रिय सहयोग की परिकल्पना की गई। विकेन्द्रित नियोजन प्रणाली के सफल कार्यान्वयन हेतु जिला/मण्डल स्तर पर स्थानीय अधिकारियों एवं जनपद के जनप्रतिनिधियों को इस प्रणाली से सम्बद्ध किये जाने की व्यवस्था की गई।

प्रत्येक जनपद में राज्य मंत्रि–मण्डल के सदस्य की अध्यक्षता में **"जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति"** का गठन किया गया। यह समिति विकास के मामलों में जिला स्तर पर सर्वोच्च समिति के रूप मे कार्य करती है। अनुश्रवण के आधार पर जहां समिति के अध्यक्ष उचित समझेंगे, वांछित जांच के आदेश देने के अधिकार भी इसमें प्रदत्त है। समिति का संगठन एवं कर्तव्य निम्नवत है:–

समिति का संगठन

1.	मंत्रि–मण्डल के सदस्य	अध्यक्ष
2.	जिला परिषद के अध्यक्ष	उपाध्यक्ष
3.	जिले के समस्त संसद सदस्य	सदस्य
4.	जिले के समस्त विधान सभा सदस्य	सदस्य
5.	जिले के समस्त विधान परिषद सदस्य	सदस्य
6.	जिलाधिकारी	सदस्य
7.	मुख्य विकास अधिकारी	सदस्य सचिव
8.	अन्य जिला स्तरीय अधिकारी को आवश्यकतानुसार बुलाया जा सकता है।	

समिति के कर्तव्य

1. राज्य सरकार द्वारा प्रसारित मार्ग–निर्देशिकाओं और जनपद को आवंटित परिव्यय को ध्यान में रखते हुए जिला योजना समन्वय एवं कार्यान्वयन समिति द्वारा प्रस्तावित जनपद की वार्षिक योजना के प्रालेख्य को जिला स्तर पर अन्तिम रूप देना,
2. जनपद की समस्त योजनाओं का, जो जिला सेक्टर में हो अथवा राज्य सेक्टर में हो का, प्रत्येक तीन मास में एक बार अनुश्रवण करना,

3. जिले के विभागीय परिव्ययों को राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर प्रसारित मानकों के आधार पर विभिन्न विकास खण्डों में वितरित करना, जिससे विभिन्न विकास खण्डों के विकास की असमानताओं को समाप्त किया जा सके,
4. प्रत्येक विभाग के विभागीय अधिकारियों से आवश्यकतानुसार सामयिक सूचनायें प्राप्त करना।

इसके अतिरिक्त प्रत्येक जनपद में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक **जिला योजना समन्वय एवं कार्यान्वयन समिति** का भी गठन किया गया। यह समिति जनपद की योजना की संरचना, राज्य सरकार के मार्ग निर्देश एवं जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति के निर्देशों के अनुसार कार्य करने एवं जिला योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु उत्तरदायी बनायी गयी।

अर्न्तजनपदीय समन्वय, सफल कार्यान्वयन एवं आने वाली कठिनाईयों के निराकरण हेतु मण्डल स्तर पर मंत्रि—परिषद के सदस्य की अध्यक्षता में मण्डलीय समिति का प्राविधान है। इस समिति में मण्डलायुक्त उपाध्यक्ष होते हैं तथा मण्डल स्तरीय अधिकारी तथा मण्डल के जनपदों के जिलाधिकारी सदस्य होते हैं। समिति के संयुक्त विकास आयुक्त सदस्य सचिव होते हैं। इस समिति के लिए पिछले 4—5 वर्षों से अध्यक्षता हेतु मा. मंत्रि परिषद का सदस्य नामित नहीं हुआ है।

भारत का संविधान के अनुच्छेद 243 य घ में प्रत्येक जिले में जिला योजना समिति गठित करने का प्राविधान है। इस अनुच्छेद के प्राविधान के अधीन परिकल्पित जिला योजना समिति के प्राविधानों के अनुरूप प्रदेश में जनपद स्तर पर **जिला योजना समिति** के गठन का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। इस संदर्भ में उत्तर प्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम 1999 के माध्यम से व्यवस्था की गई। कुल मिलाकर नवीन नियोजन प्रक्रिया निम्न प्रकार उभरकर आती है :—

- ❖ प्रतिवर्ष ग्राम पंचायत द्वारा अपनी विकास योजना तैयार की जायेगी।
- ❖ क्षेत्र पंचायत द्वारा ग्राम पंचायतों की विकास योजनाओं को समेकित करते हुए, क्षेत्र की विकास योजना तैयार की जायेगी।
- ❖ जिला पंचायत द्वारा क्षेत्र पंचायतों की विकास योजनाओं को समेंकित करते हुए तैयार की गयी विकास योजना जिला योजना समिति को प्रस्तुत होगी।
- ❖ जनपद में स्थित नगरीय संस्थाओं द्वारा विकास योजनाओं को तैयार कर सीधे जिला योजना समिति को संदर्भित किया जायेगा।
- ❖ पंचायतों एवं नगरीय संस्थाओं से प्राप्त विकास योजनाओं पर सम्यक् रूप से विचार करने का अधिकार जिला योजना समिति का होगा।
- ❖ जिला योजना समिति का कार्यक्षेत्र, जिला पंचायत एवं म्यूनिसिपलिटीज द्वारा तैयार की गयी विकास योजनाओं पर, उनके पारस्परिक हित, विशेष रूप से क्षेत्रीय नियोजन, पानी एवं अन्य भौतिक एवं प्राकृतिक संसाधनों में हिस्सेदारी, अवस्थापना एवं पर्यावरणीय एकीकृत विकास पर विचार करते हुए, जनपदों के लिए एक विकास योजना का प्रारूप तैयार कर, राज्य सरकार को प्रेषित किया जाना है।
- ❖ समिति के 4/5 सदस्य, जिला पंचायत एवं म्यूनिसपलिटीज के निर्वाचित सदस्यों में से ग्रामीण एवं शहरी जनसंख्या के अनुपात के आधार पर निर्वाचित होंगे।

- समिति के 1/5 सदस्यों को राज्य सरकार द्वारा नामित किया जायेगा, जिसमे से :
  - मंत्रि–मण्डल के नामनिर्दिष्ट एक मंत्री, जो समिति का अध्यक्ष होगा ;
  - अध्यक्ष, जिला पंचायत ;
  - जिला मुख्यालय की नगरपालिका का नगर प्रमुख अथवा अध्यक्ष, जैसी भी स्थिति हो ;
  - जिलाधिकारी –पदेन ;
  - अन्य सदस्य, जिन्हें राज्य सरकार नामनिर्दिष्ट करे, नामित किया जा सकेगा।
- प्रत्येक जिले में समिति के सदस्यों की संख्या कम से कम 20 और 40 से अधिक नहीं होगी।
- जनपद के सभी सांसद एवं विधायक समिति के स्थायी आमन्त्रित सदस्य होगें।
- मुख्य विकास अधिकारी / मुख्य कार्यपालक अधिकारी समिति का पदेन सचिव होगा और जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी पदेन संयुक्त सचिव होगा।
- समिति के सदस्यों के निर्वाचन का कार्य राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा किया जायेगा।
- जिला योजना समिति के निम्न कृत्य है:
  - राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय उद्देश्यों के अधीन स्थानीय आवश्यकताओं एवं उद्देश्यों का निर्धारण।
  - योजनाओं हेतु प्राकृतिक तथा मानव संसाधनों से सम्बन्धित आकड़ों का संग्रहण, संकलन तथा अद्यतन करना और जिले के विकास खण्डवार संसाधनों की रूप रेखा तैयार करना।
  - ग्राम, विकास खण्ड एवं जनपद स्तर पर उपलब्ध सुविधाओं को सूचीबद्ध एवं निरूपित करना।
  - प्राकृतिक एवं अन्य संसाधनों के अधिकतम तथा न्याय संगत उपयोग/दोहन करने की दृष्टि से विकास के लिए नीतियों, कार्यक्रमों तथा प्राथमिकताओं का निर्धारण।
  - योजना के उद्देश्यों एवं रणनीतियों के अनुरूप वार्षिक योजना एवं पंचर्षीय योजनाओं के प्रारूप का निरूपण, संशोधन और समेकित (consolidate) करना।
  - जिले के लिए एक रोजगार योजना तैयार करना।
  - जिला योजना के वित्त पोषण हेतु वित्तीय संसाधनों का आंकलन।
  - समिति द्वारा जिले में कार्यान्वित हो रही समस्त योजनाओं का अनुश्रवण, मूल्यांकन एवं समीक्षा।
  - जिला विकास योजना के सम्पूर्ण ढांचे के भीतर रहते हुए सेक्टोरल एवं सब–सेक्टोरल योजनाओं हेतु परिव्यय का आवंटन।
- समिति की बैठक प्रत्येक त्रैमास में कम से कम एक बार अवश्य आहूत की जायेगी।
- समिति को कतिपय उप समितियों के गठन का अधिकार होगा।

त्वरित आर्थिक विकास योजना के मार्गदर्शी सिद्धान्त

नाम :

त्वरित आर्थिक विकास योजना

उद्देश्य :

विभिन्न जनपदों में विकास कार्यों को त्वरित गति से कार्यान्वित करने हेतु त्वरित आर्थिक विकास योजना प्रारम्भ की गई है, जिसमें मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं, शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाओं का विकास किया जायेगा।

वित्तीय व्यवस्था :

वित्तीय वर्ष के लिए योजनान्तर्गत बजट व्यवस्था के अधीन विकास कार्यों को वित्त पोषित किया जायेगा। योजना के अन्तर्गत वित्त पोषित होने वाली परियोजनाओं /कार्यों का चयन यथा सम्भव बजट प्राविधान कराने के पूर्व कर लिया जायेगा ताकि बजट में विवरण सहित समुचित व्यवस्था हो सके। अपरिहार्य परिस्थितियों में अपवादस्वरूप एकमुश्त बजट प्राविधान होने की दशा में बजट मैनुअल के प्रस्तर–94 के आलोक में परियोजनाओं/कार्यों का चयन समयबद्ध ढ़ग से इस प्रकार किया जायेगा कि धनराशि का उपयोग संसमय सुनिश्चित हो सके।

योजना का आच्छादन :

योजना के अन्तर्गत निम्न मदों के लिए पूँजीगत कार्य हेतु धनराशि उपलब्ध हो सकेगीः–

1. राजकीय माध्यमिक विद्यालयों एवं राजकीय महाविद्यालयों के भवनों का निर्माण/विस्तार।
2. शहरी तथा ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं से सम्बंधित भवनों का निर्माण/विस्तार।
3. ग्रामीण एवं शहरी जलापूर्ति तथा मल जल एवं सफाई।
4. लघु सिंचाई कार्यक्रम।
5. विद्युत वितरण/विद्युत केन्द्र/विस्तार तथा ग्रामीण विद्युतीकरण।
6. शहरी क्षेत्रों में प्रकाश व्यवस्था, जल निकासी कार्यक्रम एवं सड़कों का सुधार (अनुरक्षण/मरम्मत के कार्य को छोड़कर)।
7. सेतु/पुलों का निर्माण तथा ग्रामीण क्षेत्रों में नई सड़क का निर्माण।
8. न्यायालय परिसरों में अधिवक्ताओं के लिए चैम्बर/जन सुविधाओं का विकास।

कार्यों का चयन :

1. योजना के अन्तर्गत जिलाधिकारी/मण्डलायुक्त/जन–प्रतिनिधि/सम्बंधित प्रशासकीय विभाग / ग्रामीण एवं शहरी निकायों के अध्यक्षों द्वारा प्रस्ताव प्रेषित किये जा सकते हैं।
2. कार्यों के सम्पादन में जनसहयोग तथा लोगों की भागीदारी को दृष्टिगत रखते हुए विकास कार्योंके चयन में स्थानीय आवश्यकता की पूर्ति प्रभावोन्मुख विकास कार्यों को वरीयता प्रदान की जायेगी।
3. प्राथमिकता के अनुसार विकास कार्यों के प्रस्ताव नियोजन विभाग को संदर्भित किये जायेगें।
4. इस प्रकार प्राप्त समस्त प्रस्ताव नियोजन विभाग द्वारा सम्बन्धित प्रशासकीय विभागों को संदर्भित किये जायेगें।

5. सम्बंधित प्रशासकीय विकास विभाग के स्तर से विभागीय मानकों के अनुसार कार्यों का परीक्षण किया जायेगा।

6. सम्बन्धित विभाग द्वारा स्पष्ट रूप से अपने सामान्य बजट के अधीन उपलब्ध धनराशि का उपयोग करते हुए विकास कार्यों का चयन किया जायेगा।

7. योजना में लिए जाने वाले कार्यों की प्राथमिकता सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग द्वारा निर्धारित की जायेगी, जिससे कि प्राथमिकता वाले कार्यों को पहले लिया जा सके।

8. विकास कार्यों को सम्पादित करने में पूर्ण पारदर्शिता रखी जायेगी, ताकि जनमानस की अपेक्षानुसार विकास कार्य सम्पन्न हो सके।

9. योजना के अन्तर्गत उपलब्ध धनराशि के अतिरिक्त अन्य स्रोतों से उपलब्ध होने वाले संसाधनों का प्रथम वरीयता पर उपयोग किया जायेगा। प्रशासनिक विभाग के स्तर पर कार्य विशेष के लिए अन्य स्रोतों से उपलब्ध होने वाले संसाधनों का सर्वप्रथम दोहन किया जायेगा। यदि कार्य विशेष के लिए अन्य स्रोतों से उपलब्ध होने वाले संसाधन श्रम अथवा अन्य किसी रूप में प्राप्त होते हैं तो उन्हें भी विभाग द्वारा संज्ञान में लिया जायेगा।

10. योजना के मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अधीन विभाग द्वारा प्रस्तावों का परीक्षण कर विभागीय बजट तथा अन्य स्रोतों से धनराशि उपलब्ध होने की पुष्टि करते हुए निम्न सूचना का समावेश कर प्रस्ताव स्वीकृत करने हेतु नियोजन विभाग को सन्दर्भित किये जायेंगे:—

    1. कार्य अन्य किसी योजना के अन्तर्गत स्वीकृत नहीं हुआ है और यदि स्वीकृत है तो अन्य स्रोतों से कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई है और त्वरित आर्थिक विकास योजना से कितनी धनराशि स्वीकृत की जानी प्रस्तावित है।
    2. कार्य के सम्बंध में विभागीय संस्तुति।
    3. आगणन के मूल्यांकन की स्थिति।
    4. परिसम्पत्ति के सृजन के उपरान्त रखरखाव की वचनबद्धता।
    5. संचालन व्यय को विभागीय बजट से वहन किये जाने की पुष्टि।
    6. योजना के कार्य का मार्गदर्शी सिद्धान्तों से आच्छादित होना।
    7. परिसम्पत्तियों के सृजन के साथ ही कार्यदायी संस्था से उनके हस्तांतरण कराये जाने की वचनबद्धता।

स्वीकृत धनराशि को रखे जाने की व्यवस्था :

योजना के अन्तर्गत कार्य/परियोजना विशेष के लिए स्वीकृत धनराशि को आवश्यकतानुसार आहरित कर कार्यदायी विभाग/संस्था के कोशागारों में संचालित डिपाजिट खाते में हस्तांतरित किया जायेगा। जहां से निर्धारित प्रक्रिया तथा कार्यों की आवश्यकतानुसार धनराशि का आहरण किया जायेगा। ब्याज अर्जित करने के उद्देश्यों से धनराशि आहरित कर बैंक /डाकघर में नहीं रखी जायेगी।

कार्य के आगणन :

योजना के अन्तर्गत स्वीकृत किये गये कार्य को पूर्ण करने हेतु सम्बंधित कार्यदायी संस्था द्वारा समय—सारणी तैयार की जायेगी और उस समय—सारणी के अनुसार स्वीकृत की गई धनराशि कार्यदायी संस्था को अवमुक्त की जायेगी।

कार्यदायी संस्था को धनराशि अवमुक्त किया जाना :

योजना के अन्तर्गत लिए जाने वाले कार्य के आगणन सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग/कार्यदायी संस्था द्वारा

स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त गठित कराये जायेंगे, ताकि गठित आगणनों के पुनरीक्षण की आवश्यकता न पड़े। तदर्थ रूप से गठित आगणनों को योजना के अन्तर्गत स्वीकार नहीं किया जायेगा और न ही एक बार स्वीकार किये गये आगणनों को पुनरीक्षित किये जाने का अवसर उपलब्ध हो सकेगा।

आगणनों के स्पेसीफिकेशन्स :

विभिन्न विकास कार्यों के सम्बन्ध में तैयार किये जाने वाले आगणनों में मानकों के अनुसार सामान्य स्पेसीफिकेशन्स रखे जायेंगे।

आगणनों / परियोजनाओं का मूल्यांकन :

योजना के अन्तर्गत लिए जाने वाले कार्य के गठित आगणन सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग द्वारा पी.एफ.ए.डी. से मूल्यांकित कराये जायेगें। परियोजनाओं / कार्य की लागत के अनुसार व्यय वित्त समिति से परियोजना / कार्य / आगणनों को अनुमोदित कराने का दायित्व भी सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग को होगा।

कार्यों की प्राथमिकता :

योजना में लिए जाने वाले कार्यों की प्राथमिकता सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग द्वारा निर्धारित की जायेगी, जिससे कि प्राथमिकता वाले कार्यों को पहले लिया जा सके।

निर्माण एजेंसी / कार्यदायी संस्थाओं का चयन :

सम्बन्धित प्रशासकीय विभागों द्वारा वित्त विभाग के यथा संशोधित शासनादेश का चयन संख्या –ई–8–215 / दस–1998–648 / 1994 दिनांक 9 मार्च, 1998 के अनुसार कार्यवाही करते हुए, कार्यदायी संस्था / निर्माण एजेंसी का चयन इस प्रकार किया जायेगा कि निर्माण कार्य राजकीय विभागों द्वारा ही सम्पादित हों। सड़कों एवं पुलों के सम्बन्ध में निर्माण एजेन्सी, लोक निर्माण विभाग, 30 मीटर से अधिक लम्बाई के पुलों के निर्माण के सम्बंध में उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम, अन्य निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में सम्बन्धित विभाग की स्वयं की निर्माण इकाई अथवा उसके अधीन सार्वजनिक उपक्रम की निर्माण इकाई निर्माण एजेन्सी होगी। जिन विभागों में स्वयं की अथवा उनके अधीन सार्वजनिक उपक्रम की निर्माण इकाई नहीं है, उन विभागों के निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में सम्बन्धित प्रशासकीय विभागों द्वारा प्रथम वरीयता राजकीय विभागों की निर्माण एजेन्सियों को प्रदान की जायेगी। किसी भी दशा में निजी संस्था को निर्माण एजेन्सी के रूप में चयनित नहीं किया जायेगा।

प्रशासकीय विभाग का उत्तरदायित्व :

इस योजना के अन्तर्गत वित्त पोषित कार्यों के सम्बन्ध में प्रशासकीय विभाग सामान्य पर्यवेक्षण, अनुश्रवण तथा गुणवत्ता–नियंत्रण का कार्य अपने विभागीय कार्यों की तरह ही करेंगे। योजना में आच्छादित कार्यों के सम्मुख इंगित विभाग प्रशासकीय विभाग के रूप में होंगे:–

	संम्बधित योजना / मद / कार्य	**सम्बंधित प्रशासकीय विभाग**
1.	राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के भवनों का निर्माण / विस्तार	माध्यमिक शिक्षा विभाग
2.	राजकीय महाविद्यालयों के भवनों का निर्माण / विस्तार	उच्च शिक्षा विभाग
3.	शहरी स्वास्थ्य सेवाओं तथा ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं से सम्बंधित भवनों का निर्माण / विस्तार	चिकित्सा एवं जनस्वास्थ्य विभाग
4.	शहरी जलापूर्ति	नगर विकास विभाग
5.	ग्रामीण जलापूर्ति	ग्राम्य विकास विभाग
6.	मल जल एवं सफाई	नगर विकास विभाग
7.	शहरी क्षेत्रों में जल निकासी कार्यक्रम	नगर विकास विभाग

8. लघु सिंचाई कार्यक्रम	लघु सिंचाई विभाग
9. विद्युत वितरण / विद्युत केन्द्र / विस्तार / ग्रामीण विद्युतीकरण	ऊर्जा विभाग
10. शहरी क्षेत्रों में प्रकाश व्यवस्था	नगर विकास विभाग
11. सेतु निर्माण / ग्रामीण क्षेत्रों में नई सड़क का निर्माण	लोक निर्माण विभाग
12. शहरी क्षेत्रों में सड़को का सुधार	नगर विकास विभाग
13. न्यायालय परिसरों में अधिवक्ताओं के लिए चैम्बर / जन सुविधाओ का निर्माण	न्याय विभाग

परिसम्पति का हस्तान्तारण :

सम्बंधित नामित विभाग / एजेन्सी द्वारा योजना के अन्तर्गत सृजित होने वाली परिसम्पत्ति कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य पूर्ण करने के तत्काल बाद हस्तान्तरित करायी जायेगी।

परिसम्पति का रख–रखाव :

योजना के अन्तर्गत सृजित परिसम्पत्तियों के रख–रखाव, अनुरक्षण आदि की व्यवस्था सम्बन्धित नामित / एजेन्सी द्वारा अपने सामान्य बजट से की जायेगी। इस योजना के अन्तर्गत रख–रखाव / मरम्मत हेतु कोई धनराशि देय नहीं होगी।

प्रशासनिक / आकस्मिक व्यय तथा सेन्टेज चार्ज :

किसी कार्य विशेष को सार्वजनिक उपक्रमों से कराये जाने की स्थिति में समय समय पर जारी वित्त विभाग के आदेशों के अन्तर्गत देय सेन्टेज चार्जेज से भिन्न किसी प्रकार का प्रशासनिक / आकस्मिक व्यय देय नहीं होगा।

परिसम्पत्तियों का सृजन :

योजना के अन्तर्गत केवल पूँजीगत निर्माण हेतु ही धनराशि उपलब्ध हो सकती है। इस प्रकार योजना से उपलब्ध धनराशि से केवल परिसम्पत्तियों का सृजन होगा। योजना के अन्तर्गत राजस्व व्यय अनुमन्य नहीं है और सम्बंधित विभाग द्वारा अपने बजट से राजस्व व्यय को वहन करना होगा।

आडिट की व्यवस्थ :

अन्य शासकीय व्ययों की भांति योजना के अन्तर्गत होने वाले व्यय का नियमानुसार आडिट भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा सम्पादित होगा।

अवशेष धनराशि :

योजना के अन्तर्गत कार्य विशेष के लिए स्वीकृत की गई धनराशि में से कार्य पूर्ण होने के बाद यदि कोई धनराशि अवशेष बचती है तो उसे कार्य पूर्ण होने के एक माह के अन्दर राजकोश में जमा किया जायेगा और उसकी सूचना नियोजन विभाग, वित्त विभाग तथा सम्बंधित प्रशासनिक विभाग को दी जायेगी।

कार्यों की गुणवत्ता :

कार्यों की विभागीय मानकों के अनुसार गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग द्वारा कार्यदायी संस्था मण्डलायुक्त तथा जनपद के जिलाधिकारी से प्रभावी समन्वय किया जायेगा। गुणवत्ता में कमी पाये जाने पर कार्यदायी संस्था उसके लिए उत्तरदायी होगी।

कार्यों की पुनरावृत्ति पर रोक :

सम्बन्धित विभाग का यह दायित्व होगा कि योजना के अन्तर्गत कार्य स्वीकृत करने की संस्तुति करने हेतु अन्य

किसी योजना में उस कार्य को न लिये जाने की पुष्टि की जायेगी। सम्बंधित जनपद के जिलाधिकारी द्वारा कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य हेतु राज्य सरकार, भारत सरकार अथवा अन्य किसी स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं हुई है और न ही स्वीकृत प्रस्तावित है अथवा अन्य किसी स्रोत से वित्त पोषित योजना के अन्तर्गत वह कार्य सम्मिलित है।

आगणनों की तकनीकी स्वीकृति :

योजना के अन्तर्गत लिए गए कार्यों को प्रारम्भ करने से पूर्व आगणनों/अनुमानों पर यथाविधि सक्षम अधिकारी का तकनीकी स्वीकृति प्राप्त की जायेगी।

कार्यों का समन्वय एवं पर्यवेक्षण :

कार्यों का समन्वय एवं पर्यवेक्षण सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग द्वारा किया जायेगा।

कार्यों का मूल्यांकन :

कार्यदायी संस्था द्वारा किये गये कार्यों का मूल्यांकन सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग द्वारा कराया जायेगा, और वस्तु स्थिति से नियोजन विभाग को अवगत कराया जायेगा।

मासिक प्रगति प्रतिवेदन का प्रेक्षण :

सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग द्वारा कार्यों की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की मासिक रिपोर्ट कार्यदायी संस्था से प्राप्त करके प्रत्येक माह की 7 तारीख तक नियोजन विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।

पारदर्शिता :

विकास कार्यों को सम्पादित करने में पूर्ण पारदर्शिता रखी जायेगी, ताकि जनमानस की अपेक्षानुसार विकास कार्य सम्पन्न हो सके।

कार्यों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति :

विकास विभागों से प्राप्त प्रस्तावों का नियोजन विभाग के स्तर पर आवश्यक परीक्षणोपरांत सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त कर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जायेगी, जिसकी प्रतिलिपि सम्बन्धित मण्डलायुक्त, जिलाधिकारी, प्रशासनिक विभाग, वित्त विभाग तथा अन्य सम्बंधितों को प्रेषित की जायेगी।

अन्य संसाधनों से डबटेलिंग :

योजना के अन्तर्गत उपलब्ध धनराशि के अतिरिक्त अन्य स्रोतों से उपलब्ध होने वाले संसाधनों का प्रथम वरीयता पर उपयोग किया जायेगा। प्रशासनिक विभाग के स्तर पर कार्य विशेष के लिए अन्य स्रोतों से उपलब्ध होने वाले संसाधनों का सर्वप्रथम दोहन किया जायेगा। यदि कार्य विशेष के लिए अन्य स्रोतों से उपलब्ध होने वाले संसाधन श्रम अथवा अन्य किसी रूप मे प्राप्त होते हैं तो उन्हें भी विभाग द्वारा संज्ञान में लिया जायेगा।

प्रक्रिया :

1. योजना में लिए जाने वाले कार्यों के समस्त प्रस्तावों को नियोजन विभाग के स्तर से सम्बन्धित प्रशासकीय विभागों को प्रेषित किया जायेगा। सम्बंधित प्रशासकीय विभाग द्वारा कार्यों के सम्बन्ध में मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अधीन परीक्षणोपरान्त कार्यों की प्राथमिकता के क्रम में प्रस्ताव नियोजन विभाग को पत्रावली पर प्रस्तुत किये जायेगें।
2. प्रशासकीय विभाग से प्रस्ताव प्राप्त होने पर उनकी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति बजट मैनुअल तथा इस सन्दर्भ में वित्त विभाग द्वारा जारी किए गए शासनादेशों में निर्धारित प्रक्रियानुसार परीक्षणोपरांत जारी की जायेगी।

विकास कार्यों की अनुमन्यता :

1. राजकीय माध्यमिक विद्यालयों/राजकीय महाविद्यालयों के भवनों का निर्माण/विस्तार के अन्तर्गत प्रथम वरीयता पर भवनहीन विद्यालयों के भवन निर्माण के कार्य तथा द्वितीय वरीयता पर विस्तार अंश 25 लाख अथवा अधिक के मानक के अनुसार नवीन कार्य।
2. शहरी स्वास्थ्य सेवाओं/ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं से सम्बंधित भवनों का निर्माण/विस्तार के अन्तर्गत प्रथम वरीयता पर भवनहीन प्राथमिक/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों/चिकित्सालयों के भवन निर्माण के कार्य तथा द्वितीय वरीयता पर विस्तार अंश में 25 लाख अथवा अधिक के मानक के अनुसार नवीन कार्य।
3. शहरी जलापूर्ति/ग्रामीण जलापूर्ति सम्बन्धित 20 लाख अथवा उससे अधिक लागत वाले पाईप वाटर सप्लाई के कार्य।
4. मल जल एवं सफाई से सम्बन्धित 20 लाख अथवा उससे अधिक लागत वाले कार्य।
5. शहरी क्षेत्रों में जलनिकासी कार्यक्रम सम्बन्धित 15 लाख अथवा उससे अधिक लागत वाले कार्य।
6. लघु सिंचाई कार्यक्रम सम्बन्धित 10 लाख अथवा उससे अधिक लागत वाले कार्य।
7. विद्युत वितरण/विद्युत केन्द्र/विस्तार सम्बन्धित 25 लाख अथवा उससे अधिक लागत वाले कार्य।
8. ग्रामीण विद्युतीकरण सम्बन्धित 25 लाख अथवा उससे अधिक लागत वाले कार्य।
9. शहरी क्षेत्रों में प्रकाश व्यवस्था से सम्बन्धित 10 लाख अथवा उससे अधिक लागत वाले कार्य।
10. 30 मी. से अधिक लम्बाई के सेतु निर्माण कार्य से सम्बन्धित 30 लाख अथवा उससे अधिक लागत वाले कार्य।
11. ग्रामीण क्षेत्रों में नई सड़कों के निर्माण हेतु केवल उन्हीं सड़कों के प्रस्ताव अनुमन्य होंगे, जिन ग्रामीण सड़कों की लम्बाई 3 किमी. अथवा अधिक होगी। साथ ही सम्पर्क मार्ग से जुड़ने वाला ग्राम अन्य किसी दिशा से नहीं जुड़ा होना चाहिए अर्थात कोई भी ग्राम एकल दिशा–सम्पर्क मार्ग से ही जोड़ा जाना अनुमन्य होगा। प्रथम वरीयता पर 1000 से अधिक जनसंख्या वाले ऐसे ग्राम, जो पी.एम.जी.एस.वाई. के मानकों से आच्छादित न हो, लिये जायेगें। द्वितीय वरीयता पर 500 से 999 तक की जनसंख्या वाले ऐसे ग्रामों जो पी. एम.जी.एस.वाई. के मानकों से आच्छादित न हो लिये जायेगें। तृतीय वरीयता पर 250 से 499 तक की जनसंख्या वाले ग्राम लिए जायेगें। 250 से कम जनसंख्या वाले किसी भी ग्राम को इस योजना में नहीं लिया जायेगा।
12. शहरी क्षेत्रों में सड़कों का सुधार (अनुरक्षण एवं मरम्मत को छोड़कर) सम्बन्धित 20 लाख अथवा उससे अधिक लागत कार्य।
13. न्यायालय परिसरों में अधिवक्ताओं के लिए चैम्बर/जनसुविधाओं का निर्माण सम्बन्धित 15 लाख अथवा उससे अधिक लागत वाले क्लस्टर के कार्य।

शिथिलीकरण :

योजना के मार्गदर्शी सिद्धान्तों में किसी प्रकार का शिथिलीकरण विशेष परिस्थितियों में मा. मुख्य मंत्री जी के अनुमोदनोपरान्त किया जा सकेगा।

405 / 14.2.07

झारखण्ड सरकार
नगर विकास विभाग

संकल्प

विषयः झारखण्ड राज्य के शहरी निकायों में नगरीय (i) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजना, (ii) निकायों के क्षमता संवर्द्धन, (iii) रॉंची शहर में रिपोर्ट कार्ड प्रणाली लागू करने हेतु झारखण्ड वित्त नियमावली के नियम – 235 एवं 245, लोक निर्माण संहिता के नियम 158 के प्रावधानों को शिथिल करते हुए मनोनयन के आधार पर "क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र (RCUES)", लखनऊ, शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार को नामित / नियुक्त करने के सम्बन्ध में।

नगरपालिका, नगर निगम अधिनियम एवं 74वें संविधान संशोधन के आलोक में नगर निकायों में नागरिकों को मौलिक सुविधा उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी शहरी स्थानीय निकायों की है। उक्त जिम्मेदारी को पूर्ण करने के क्रम में शहरों का आन्तरिक क्षमता संवर्द्धन तथा शहर को प्रदूषण मुक्त किया जाना अत्यंत आवश्यक है।

2. झारखण्ड राज्य के शहरी निकायों में नगरीय (i) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजना, (ii) निकायों के क्षमता संवर्द्धन, (iii) रॉंची शहर में रिपोर्ट कार्ड प्रणाली लागू करने हेतु निम्नांकित सारणी में अंकित शर्तों के अधीन तथा देय परामर्शी शुल्क के आलोक में मंत्रिपरिषद् का अनुमोदन प्राप्त कर झारखण्ड वित्त नियमावली के नियम – 235 एवं 245, लोक निर्माण संहिता के नियम 158 के प्रावधानों को शिथिल करते हुए मनोनयन के आधार पर "क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र (RCUES)", लखनऊ, शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार को नामित / नियुक्त किया जाता है :–

क्रम सं0	प्रक्षेत्र का नाम	स्थानीय निकाय का नाम जहाँ कार्य सम्पादित किया जाना है	कार्यों का विवरणी	देय परामर्शी शुल्क एवं भुगतान की शर्तें
1	2	3	4	5
1.	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन	रॉंची, धनबाद, जमशेदपुर, दुमका, चास, मेदनीनगर, हजारीबाग, लोहरदगा एवं बासुकीनाथ शहर को छोड़कर राज्य के सभी नगरपालिका एवं अ0क्षे0स0	सूची संलग्न (अनुलग्नक–I)	• क्षेत्र अध्ययन, आवश्यकता का आंकलन, डी.पी.आर. तैयार करवाना आदि–परियोजना लागत का 1.5% • प्रशिक्षण एवं क्षमता विकास– परियोजना लागत का 1.5% • अनुश्रवण एवं प्रबंधन शुल्क – परियोजना लागत का 2.0 प्रतिशत (मात्र देवधर शहर के लिए)
2.	आन्तरिक क्षमता विकास	रॉंची, जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो, हजारीबाग, मेदनीनगर,	• To asses the infrastructural requirements of	• Honorarium to project Director& Rs. 75,000.00 • Research Associate (8@

		देवघर, दुमका, चाईबासा, गिरिडीह	the ULBs to achieve good governance. • To asses the financial requirements for implementation of GIS and computerization. • To develop Detailed Terms of Reference for implementation of GIS and Double Entry Accounting System. • To asses the Training Needs of the Functionaries/ Officials engaged in Urban Development in the State. • To suggest reforms to Augment Financial Resources of the ULBs. (i.e. holding tax, user charges etc.)	Rs. 11,000x9 months)-Rs. 7,92,000.00 • Project Assistant cum computer operator (1@ Rs. 8,000x9 months)-Rs. 72,000.00 • Consultants for GIS, DEAS and an civil Engineer (3@ Rs. 20,000x9 months)- Rs. 5,40,000.00 • Field Cost- Rs. 3,00,000 • TA/DA etc. to project team – Rs. 2,00,000 • Printing and Stationary charges – Rs. 1,00,000.00 • Computer/ Computer Time – Rs. 50,000.00 • Contingency @ 5% - Rs. 1,06,000.00 • Total – 2235000.00 • Institutional Charges (10%) – Rs. 223500.00 • Grand Total – Rs. 2458500 **Payment Terms** • Advance – 50% • On submission of Report on Infrastructure – 30% • On submission of final report- 20%
3.	रिपोर्ट कार्ड सिस्टम	रॉची नगर निगम	• The report card would cover the Territory of Municipal Corporation of Ranchi • Workshop for Sensitization & Questionnaire approval. • Survey of the city.	i. External & Internal Assessment of ULB-Rs. 2.50 Lakh. ii. Workshop (2) – Rs. 1.00 Lakh iii. Management costs @ 10% of Total – Rs. 0.35 Lakh **Total – Rs. 3.85 Lakh**

			• Data Analysis • Report Card Generation. • Workshop to discuss the findings, which would include suggestive Action plan to be finalized by the ULB Officials	

आदेश :– झारखण्ड राज्य के शहरी निकायों में नगरीय (i) ठोस अपशिश्ट प्रबंधन योजना, (ii) निकायों के क्षमता संवर्द्धन, (iii) रॉची शहर में रिपोर्ट कार्ड प्रणाली लागू करने हेतु "क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र (RCUES)", लखनऊ, शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार को नियुक्त किया जाता है।

2. इस संकल्प का प्रकाशन झारखण्ड गजट के असाधारण अंक में किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,
(बन्धना उरॉव)
सरकार के उप सचिव।

संख्या – 613 / नौ–5–2007–40सा / 07

प्रेषक,
अमल कुमार वर्मा,
प्रमुख सचिव,
नगर विकास विभाग,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,
1. नगर आयुक्त, समस्त नगर निगम, उत्तर प्रदेश।
2. अधिशासी अधिकारी, समस्त नगर पालिका परिषद / नगर पंचायत, उत्तर प्रदेश।

नगर विकास अनुभाग–5 लखनऊः दिनांकः 07 मार्च, 2007

विषयः नगर विकास विभाग तथा नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग में 'सूचना एवं प्रौद्योगिकी एवं ई–गवर्नेन्स' के कार्यों हेतु क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र, लखनऊ को नोडल एजेन्सी नामित करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त नगर विकास विभाग तथा नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग में 'सूचना एवं प्रौद्योगिकी एवं ई–गवर्नेन्स' के कार्यों हेतु क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र, लखनऊ को नोडल एजेन्सी नामित किया जाता है। नोडल एजेन्सी के रूप में क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र, लखनऊ के निम्नलिखित दायित्व होंगेः–

(1) नगर निकाय, सूडा, जल निगम, सी एण्ड डी0एस0, जल संस्थान, कार्यदायी संस्था और उत्तर प्रदेश शासन के मध्य समन्वय स्थापित करना।
(2) स्थानीय भौतिक स्थितियों और आवश्यकताओं के अनुरूप विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करना। यदि आवश्यक हो तो इस कार्य मे विशेषज्ञ / अन्य संस्थाओं का सहयोग केन्द्र द्वारा लिया जायेगा।
(3) परियोजना प्रतिवेदन के लिए आवश्यक सूचनाओं और आंकड़ों का संकलन।
(4) परियोजना क्रियान्वयन के लिए संस्थाओं / संगठन का चयन।
(5) क्रियान्वयन प्रक्रिया का निरन्तर अनुश्रवण और मूल्यांकन।
(6) विस्तृत परियोजना प्रस्ताव के अनुरूप क्रियान्वयन के लिए चयनित कार्यदायी संस्थाओं के लिए टी.ओ. आर / एम.ओ.यू. / एग्रीमेन्ट तैयार करना एवं एग्रीमेन्ट के अनुसार कार्यदायी संस्थाओं के लिए धनराशि मुहैया कराने हेतु संस्तुति करना।
(7) सम्बद्ध कर्मियों का प्रशिक्षण, सूचना, शिक्षा एवं संचार संबंधी कार्य।
(8) निदेशक, स्थानीय निकाय, निदेशक, सूडा, प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, महाप्रबन्धक, समस्त जल संस्थान एवं निदेशक, सी0 एण्ड डी0एस0 की आवश्यकतानुसार सहायता लेकर नोडल एजेन्सी अध्ययन करेगी एवं प्रोजेक्ट बनाएगी। इस कार्य हेतु नोडल एजेन्सी द्वारा इस क्षेत्र में सरकारी एवं स्वयं सेवी संस्थाओं का सहयोग भी लिया जा सकता है।

2. उक्त कार्यों के लिए 'क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र, लखनऊ ' हेतु निम्नवत् शुल्क अनुमन्य होगाः—

(1) योजना के अध्ययन, डिजाइन, डी0पी0आर0 तथा बिड़ डाक्यूमेंट हेतु पूरी योजना का 1.50 प्रतिशत।

(2) सम्बद्ध कर्मियों का प्रशिक्षण, सूचना, शिक्षा एवं संचार सम्बन्धी कार्यों हेतु पूरी योजना का 1.5 प्रतिशत।

(3) योजना के अनुश्रवण तथा प्रबन्धन हेतु पूरी योजना का 5.0 प्रतिशत।

कृपया तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,
(अमल कुमार वर्मा)
प्रमुख सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
2. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
3. निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0, लखनऊ।
4. निदेशक, सूडा, उ0प्र0, लखनऊ।
5. निदेशक, क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र, लखनऊ।
6. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम।
7. निदेशक, सी0 एण्ड डी0एस0, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
8. महाप्रबन्धक, समस्त जल संस्थान, उ0प्र0।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(श्री प्रकाश सिंह)
विशेष सचिव।

उत्तर प्रदेश के नगर निकायों में नव निर्वाचित महिला महापौरों एवं महिला अध्यक्षों की सूची

Women in Urban Local Bodies in U.P.

ULBs	Total	Mayor/Chairperson		Members		
		Women			Women	
		Number	Percentage	Total Seats	Number	Percentage
N.N.	**12**	5	41.66	990	353	35.65
N.P.P.	**192***	72	37.50	5075	1928	37.99
N.P.	**419****	167	39.85	5095	1985	38.95
Total	**623**	**244**	**39.16**	**11160**	**4266**	**38.22**

*** 2 NPP- (Bagarmau, & Gonda) election not held.**
**** 3 NP- (Subeha, Renukoot) election not held &.(Railway Station Mugalsaray) is de-notified.**

उ०प्र० के नगर निगमो की महिला महापौरो, नगर पालिका परिषदो/ नगर पंचायतो की महिला अध्यक्षो की सूची

नगर निगम	महापौर
1 मेरठ	मधु गुर्जर
2 गाजियाबाद	दमयन्ती गोयल
3 बरेली	सुप्रिया ऐरन
4 आगरा	अंजुला सिह माहौर
5 गोरखपुर	अंजु चौधरी

नगर पालिका परिषद	अध्यक्ष
1 कांधला	शबनम
2 सरधना	शकीला बेगम
3 मवाना	सुदेश बाला
4 बडौत	सरला
5 मुरादनगर	छम्मी
6 दादरी	कुसुम
7 जहाँगीराबाद	सुलताना
8 शिकारपुर	राजवाला देवी
9 स्याना	कमला
10 स्योहारा	तरन्नुम मलिक
11 नूरपुर	फारीना इरशाद
12 हल्दौर	शोभा रानी
13 किरतपुर	जैनब
14 धामपुर	लीना सिघल
15 शेरकोट	सरोज बाला
16 हसनपुर	रोशन जदी निसात
17 धनौरा	लता देवी
18 ठाकुरद्वारा	शहिस्ता
19 चन्दौसी	रेनू कुमारी
20 मिलक	दीक्षा गंगवार
21 आंवला	सिया प्यारी
23 पूरनपुर	वरषा रानी
24 तिलहर	खाशिया बेगम
25 ककराला	परवीन
26 उझानी	पूनम
27 सहसवान	शमा अली
28 खैर	कल्पना मोर्या
29 अतरौली	रेखा
30 सिकन्दराराऊ	वर्षा
31 कोसी कलाँ	वन्दना
32 वृन्दावन	पुष्पा
33 टूण्डला	पुष्पा मौर्य
34 गंजडुन्डवारा	पिकी
35 एटा	कंचन गुप्ता 'अडंगा'
36 जलेसर	गीता देवी
37 कायमगंज	मिथलेश कुमारी
38 छिबरामऊ	सुभाना रफी
39 गुरूसहाय गंज	निहारिका
40 भरथना	नीता पोरवाल
41 जसवन्त नगर	मौरश्री
42 औरैया	रत्नादेवी
43 घाटमपुर	नीलम
44 बिल्हौर	राकेश सिह
45 जालौन	कान्ती
46 कोंच	शकुन्तला तरसौलिया
47 कालपी	सन्तोष
48 गुरसरांय	सुनीता देवी
49 हमीरपुर	पुष्पा देवी
50 राठ	हीरादेवी
51 चित्रकूटधाम कर्वी	लक्ष्मी देवी
52 बिन्दकी	निरमला
53 बिलग्राम	अनीस आरा
54 साँडी	सफीकुननिशा
55 सण्डीला	शम्शुन निशा
56 विसंवा	सीमा जैन
57 लहरपुर	कैसर जहाँ
58 मिश्रिख नैमिषारण्य	कमला दवी
59 महमूदाबाद	तसनीम बानो
60 गोला गोकर्ण नाथ	सुधा
61 पलिया कलां	रेहाना महमूद
62 नानपारा	फहमीदा बानो
63 उतरौला	रोशन जहाँ
64 नवाबगंज	अंजू सिह
65 रूदौली	शाकिरा खातून
66 अयोध्या	मिथिलेश
67 सिद्धार्थ नगर (तेतरी बाजार)	राधिका जायसवाल
68 खलीलाबाद	शाहीना फिरदौस
69 महाराजगंज	रीता
70 पडरौना	सरोज
71 रामनगर	रेखा शर्मा
72 चुनार	हसीना बेगम

नगर पंचायत	अध्यक्ष
1 शाहपुर	सुषमा सैनी
2 एलम	राजदुलारी
3 ऊन	ममता
4 गढीपुख्ता	राधा
5 झिंझाना	बबली
6 भोकरहेडी	अनिता देवी
7 करनावल	सुमित्रा
8 लावड	अनीसन उर्फ अनीसा
9 बहसूमा	राजेश कुमारी
10 खरखौदा	लोकेश
11अग्रवाल मण्डी	शकुन्तला

12 छपरौली	सुशीला
13 अमीनगर सराय	सुनीता
14 निवाडी	नीरज
15 फरीदनगर	मायावती
16 दनकौर	राजवती
17 रबूपुरा	उषा
18 बिलासपुर	कुमकुम
19 खानपुर	नफीस फात्मा
20 भवन बहादुर नगर	कुसुम
21 बुगरासी	रिहाना
22 बढ़ापुर	फैमीदा
23 उझारी	महजवीन नफीस
24 विशारतगंज	नाजरा बेगम
25 शाही	अरशी वसीम
26 मीरगंज	शहाना हारून
27 सेथल	जहरा
28 ठिरिया निजावत खाँ	शमशुल निशा
29 फतेहगंज पूर्वी	शोभना अग्रवाल
30 शेरगढ	सबीना
31 रिछा	केसर जहां
32 जहानाबाद	हुस्न आरा बेगम
33 बिलसण्डा	मंजू
34 रेलवे सेटिलमेन्ट रोजा	सरला
35 खुदागंज	सुधा
36 उसहैत	साबिया
37 मुडिया	शकुन्तला
38 कुंवर गांव	शान्ती देवी
39 गवाँ	राजवती
40 सैदपुर	रोशन
41 बेसवां	महेन्द्र कुमारी
42 कौडियागंज	कल्पना
43 जलाली	कृष्णा देवी
44 हरदुआगंज	अंजना
45 सासनी	चित्रा
46 मुरसान	किरन
47 सहपऊ	पदमादेवी
48 बरसाना	विमला
49 चौमुहाँ	राधा
50 राधाकुण्ड	गीता देवी
51 पिनाहट	रेखा देवी
52 जगनेर	शकुन्तला
53 ज्योति खुडिया	मंजू देवी
54 कुसमरा	विपिन कुमारी
55 भोगाँव	उपमा
56 किशनी	सरला देवी
57 पटियाली	विनय
58 मोहनपुर	शकुन्तला देवी
59 सिढपुरा	सूरजमुखी
60 सहावर	शाहिदा जमीर
61 सकीट	राधा देवी
62 बिलराम	शबाना
63 कमालगंज	वीना
64 कम्पिल	पुष्पा देवी
65 मोहम्मदाबाद	ऊषा देवी
66 सौरिख	नीलम उर्फ बबली
67 बकेवर	भूरीबेगम
68 दिबियापुर	विभा
69 बिठूर	निर्मला सिह
70 शिवराज पुर	रामरानी
71 अमरौधा	इदरीशा बेगम
72 सिकन्दरा	मुन्नी बेगम
73 डेरापुर	विजय लक्ष्मी
74 रामपुरा	रेखा देवी
75 माधौगढ	ममता
76 तालबेहट	मुक्ता
77 बडागाँव	पुक्खन देवी
78 टोडीफतेहपुर	ऊषा
79 मोंठ	नीलम
80 खरेला	प्रेमा देवी
81 गोहांड	इन्द्रा
82 सरीला	कौशिल्या
83 तिन्दवारी	नूतन देवी गुप्ता
84 नरैनी	सियारानी
85 ओरन	सन्नो
86 बिसन्डा बुजुर्ग	चन्द्रावती
87 राजापुर	वसन्तीदेवी
88 कोडा जहानाबाद	शाहिन हसन
89 करारी	आसमा वेगम
90 सिराथू	ममता गुप्ता
91 सिरसा	शशि केशरी
92 झूँसी	ऊषा रानी
93 शंकरगढ	रेखा
94 कोराँव	सुषमा देवी
95 मानिकपुर	आशा देवी
96 प्रतापगढ सिटी	सुमन
97 सलोन	मिनाक्षी रेनू
98 ऊँचाहार	मुस्तरी बेगम
99 परशदेपुर	रूबैदा खान
100 महराजगंज	सरला
101 फतेहपुर - 84	मन्जू
102 मोहान	शगुफ्ता
103 बीघापुर	कमला देवी
104 न्योतनी	मुस्कान
105 गंज मुरादाबाद	गौसिया बेगम
106 मौरावां	सियावती
107 माधौगंज	माया देवी
108 कुरसठ	विद्या देवी
109 बेनीगंज	शिवप्यारी
110 गोपा मऊ	परवीन
111 कछौना पतसेनी	उमा
112 काकोरी	नजमी आरफी
113 महोना	रेशम देवी
114 नगराम	राम कुमारी
115 पैतेपुर	नफीस बानो
116 खीरी	उसमानिया खातून
117 ओयल ढकवा	सुमन
118 मैलानी	कल्पना
119 बरबर	राजिया
120 रिसिया	नीरू श्रीवास्तव
121 खरगूपुर	ममता
122 देवा	रूखसाना
123 सतरिख	मुमताज बेगम
124 हैदरगढ	गीता
125 सिद्धौर	कमरूननिशा
126 रामनगर	चन्द्र प्रभा
127 मुसाफिरखाना	कमला त्रिपाठी
128 दोस्तपुर	बिस्मिल्लाह
129 कोईरीपुर	रेनू
130 अमेठी	चन्द्रमा
131 अशरफपुर किछौछा	दुर्गावती देवी
132 इल्तिफातगंज	शौकत जहाँ
133 गोसाई गंज	तारा देवी
134 बिकापुर	शकुन्तला
135 शोहरतगढ	बबीता
136 बढनी बाजार	नीलम
137 मगहर	अनवरी
138 पीपीगंज	अनीता
139 बडहलगंज	गीता
140 सिसवा बाजार	प्रभावती
141 निचलौल	गायत्री
142 रामकोला	विन्द्रावती
143 हाटा	राधा
144 कप्तानगंज	सुशीला
145 कुशीनगर	अन्जू
146 भाटपार रानी	प्रेमलता
147 लार	सतवन्ती
148 निजामाबाद	प्रेमा
149 बिलरियागंज	मन्जू
150 मेहनगर	कौशिल्या
151 अजमतगढ	नीतू
152 जीयनपुर	सरस्वती
153 कटघर लालगंज	उषा
154 अमिला	हमराजी
155 दोहरी घाट	मनोरमा
156 सहतवार	स्वर्ण प्रभा
157 दिलदार नगर	विमला
158 चकिया	मीरा
159 केराकत	सरिता
160 खेतासराय	महजबीन
161 जफराबाद	मनोरमा
162 ज्ञानपुर	विद्या देवी
163 सुरियावां	मन्जू
164 चुर्कघूर्मा	उर्मिला
165 चोपन	शशि देवी
166 दुद्धी	सुनीता देवी
167 पिपरी	विमलेश

RCUES IN NEWS

कचरे के निस्तारण में निजी भागीदारी आवश्यक

केन्द्र व राज्य सरकार के संयुक्त तत्वावधान में क्षेत्रीय नगर व पर्यावरण अध्ययन केन्द्र लखनऊ द्वारा सूबे के महिला पार्षदों को प्रशिक्षित करने के लिये कार्यक्रम आयोजित किया गया। चौथे चरण के इस तीन दिवसीय कार्यक्रम में लखीसराय व समस्तीपुर समेत कई नगर निकायों के पार्षदों ने भाग लिया। कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुये नगर निगम आयुक्त अतुल प्रसाद ने कहा कि ठोस कचरे के निस्तारण, जलापूर्ति, स्वच्छता आदि के प्रबंधन में निजी–सार्वजनिक भागीदारी की आवश्यकता है।

निगम आयुक्त श्री प्रसाद ने कहा कि नगर निकाय प्रशासन में सुधार की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि निकायों में जनता की भागीदारी भी सुनिश्चित होनी चाहिये। कार्यक्रम की रुपरेखा प्रस्तुत करते हुये डा. अवधेश कुमार सिंह ने कहा कि नगरीय प्रशासन में आमूल परिवर्तन हुआ है। भारत सरकार ने आगामी सात वर्षों में तीन नई योजनाओं को लागू करने के लिये पचास हजार करोड़ रुपये स्वीकृत किया है। एस.के.सिन्हा ने कहा कि 74 वें संविधान संशोधन के तहत जारी अधिनियम के क्रियान्वयन आवश्यक है। …

हर वार्ड में होगी मि…

आज

…, गुरुवार, ७ दिसम्बर, २००६

…ला सशक्तिकरण …

…ों की भूमिका अहम

(आज समाचार सेवा)

…दिसम्बर। महिला सशक्तिकरण के कार्यों में महिला पार्षद … विकास के कार्यों में पारदर्शिता, गुणवत्ता एवं कार्यपालक… । इसके लिए लोगों को प्रशिक्षित करने एवं जन सहभागिता … मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने तीन दिवसीय महिला पार्षदों के … विचार व्यक्त किये। सूबे के महिला पार्षदों के प्रशिक्षण देने हेतु भारत … रण अध्ययन केंद्र लखनऊ ने आयोजित किया। इस श्रृंखला का … इस अवसर पर श्री चौबे ने कहा कि सामाजिक बुराइयों को रोकने में … त्वपूर्ण होगी। लोगों को इसके लिए जागरूक करने की जरूरत है। … हा कि वृक्षारोपण कर जल की बर्बादी पर नियंत्रण किया जा सकता है … निदेशक डा. पद्मा अय्यर ने की। … अधिक जागरूक एवं संवेदनशील होकर कार्य करना होगा। …

The Indian EXPRESS

www.expressindia.com

'Public co-operation needed for success of schemes'

…are delivered on time in a proper manner.

Former mayor of Lucknow, Dr SC Rai shared his experiences and said, "It is important to document all the schemes and projects. Cooperation is also needed from the citizens to … more …

…dia and Africa share same concerns

TIMES NEWS NETWORK

Lucknow: South African Minister for Communication and Information system, Essop Goolam Pahad, on Saturday said that poverty alleviation needs a fresh approach and criteria in the context of millennium development goals in developing nations. …

A South African delegation led by Essop Goolam Pahad, minister for communication and information system, Presidency of Republic of South Africa, in a meeting at the Regional Centre for Urban and Environmental Studies, Lucknow University on Saturday

…जागरण

लखनऊ, 24 दिसम्बर, 20…

…आईएस से बेहतर होंगी …रीय सुविधाएं'

…3 दिसम्बर (जाका.): क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन के… भारत सरकार एवं यूएनडीपी की न्यू कन्ट्री परियोजना के … नगरीय शासन हेतु क्षमता विकास पर कार्यशाला आयोजि… इसमें परियोजना की रणनीति एवं कार्य विधि पर … इस अवसर पर मुख्य अतिथि प्रमुख सचिव … वर्मा ने कहा कि जीआईएस एवं नई तक… शहरों इलाहाबाद, वाराणसी, मेरठ … हो सकेगा। उन्होंने नगर … समयबद्ध पूर्ण करने …

'Neglected children need help from …'

EXPRESS NEWS SERVICE

LUCKNOW, NOVEMBER 17

नई तकनीक से नगरीय विका… को बेहतर बनाने पर जोर

कार्यशाला

लखनऊ, 23 दिसम्बर (एसएनबी)। प्रमुख सचिव नगर विका… कुमार वर्मा ने आज जीआईएस व नई तकनीकों … विकास को बेहतर बनाने पर जोर दिया। वे क्षेत्री… पर्यावरण अध्ययन केन्द्र द्वारा विकेन्द्रीकृत नगरीय शासन के लिए … पर एक दिवसीय कार्यशाला में बोल रहे थे। श्री वर्मा ने नगर निकायों से आए अधिकारियों को निर्देशित कि… सरकार व यूएनडीपी के न्यू कंट्री प्रोग्राम के तहत शुरू की गई इस … से लागू करें ताकि इसे समय रहते पूरा किया जा सके। … को पूरा करने में तमाम लोगों द्वारा रुकावट … के लिए तैयार रहना होगा। …

नगरीय सेवाओं को बढ़ाना जरूरी : डा. राय

सहारा न्यूज ब्यूरो

लखनऊ, 15 सितम्बर। पूर्व … डा. एस.सी. राय ने आज कहा … नगरीय सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाना … है क्योंकि नगरों में … आबादी का असर …

झारखंड के नगर विकास अधिकारियों के 'अभिमुखी कार्यक्रम' का समापन

दैनिक जागरण

लखनऊ, 29 दिसम्बर, 2006

महापौरों ने सीखे प्रशासन के तौर तरीके

लखनऊ, 28 दिसम्बर (जागरण संवाददाता): प्रदेश के नवनिर्वाचित महापौरों ने … नगरीय प्रशासन के गुर सिखाये …

OUR IMPORTANT PUBLICATIONS

1. Deliberative & Executive Wings in Local Government 1968
   - Das, R.B. & Singh, D.P. 1968
2. Training in Municipal Administration-RCUES
3. Towns of U.P., M.P., Bihar
   - Singh, D.P. 1968
4. Urban Planning & Local Authorities 1970
   - Das, R.B.
5. Coalition Government
   - Verma, M.S. 1971
6. Urban Water Supply in U.P., M.P. and Bihar
   - Das, R.B. 1971
7. Utility Services in a Metropolis
   - Das R.B. & Singh, D.P. 1974
8. Property Taxes in Lucknow-RCUES 1975
9. Municipal Taxation-RCUES 1976
10. Ghaziabad-RCUES 1978
11. Committee System in English Local Government
    - Sreeram, K. 1979
12. Urban Conservation & Environment
    - Seth, J.L. 1988
13. Situation Analysis of Urban Child in Uttar Pradesh
    - Seth, J.L. & Varmani, Richa 1988
14. Urban Land Ceiling Act, U.P.
    - Bagga, Urmila 1989
15. Privatisation of Municipal Services
    - Singh, U.B. (ed) 2001
16. Assessing Training Needs in Urban Administration
    - Singh, U.B. 2003
17. Urban Administration in India (Experiences of Fifty Year)
    - Singh, U.B. (ed.) 2004
18. Capacity Development for Urban Governance
    - Dwivedi, S.K. & Narayan, Rajeev 2004
19. Empowerment of Women in Urban Administration
    - Singh, U.B. (ed) 2006
20. Urban Management
    - Rai, Nishith & Bagga, Urmila 2006
21. Comparison of Cantonment Board and Nagar Nigam : 2006
    A Case Study of Lucknow
    - Varmani, Richa & Mishra, Anjuli

Centre for Urban & Environmental Studies, Regional, LUCKNOW
LIBRARY
Dated

Designed & Printed by Ranjana Offset, 34, New Market, Kaiserbagh, Lucknow, Ph. : 2622932